Friday, 06 March, 1964

599
9.6.64

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit.
Fumigated
On 21-5-42
Parliament Library

[खंड २६ में अंक ११ से २० तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

2466 ai LSD—1.

विषय-सूची

अंक २०—शुक्रवार, ६ मार्च, १९६४/१६ फाल्गुन, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४६१	पूर्व जर्मनी के साथ व्यापार करार	१५२८—३१
४६२	निर्यात-उधार तथा प्रत्याभूति निगम	१५३१—३३
४६३	काफी का पुनःरोपण	१४३३—३४
४६६	भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	१५३४—३७
५६८	पश्चिम जर्मनी को पटसन के बोरों का सम्भरण	१५३७—३९
४६९	मनीला को व्यापार शिष्टमंडल	१५४०—४१
४७०	कोयले का श्रेणीकरण	१५४१—४२
४७३	कपड़ा मिलों के लिये मशीनें .	१५४२—४४
४७४	समुद्र मार्ग द्वारा कोयले का परिवहन	१५४४—४६
४७५	मोटरगाड़ी पुर्जों के उत्पादन का लक्ष्य	१५४६—४८
४७७	कम्पनियों के पदों पर भारतीयों की नियुक्तियां	१५४८
४७८	रूमानिया को लौह अयस्क का निर्यात	१५४९—५१
४८०	बर्मा से बीज के आलुओं का आयात	१५५१—५३
४८१	कोयले का उत्पादन	१५५३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
४६४	भारी प्लेट तथा पोत परियोजना और भारी ढांचा परियोजना	१५५५—५६
४६५	टायरों के मूल्य . .	१५५६
४६७	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	१५५६
४७१	कपड़े का उत्पादन	१५५७
४७२	कोयला उद्योग	१५५७
४७६	मोटरकारों की बिक्री . .	१५५८
४७९	हिन्दुस्तान स्टील लि० का सीमेंट का कारखाना	१५५८
४८२	रद्दी इस्पात (स्क्रैप स्टील) के मूल्य . . .	१५५८—५९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 20—Friday, March 6, 1964/Phalguna 16, 1885 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	Subject	PAGE
461	Trade Agreement with East Germany .	1529—31
462	Export Credit and Guarantee Corporation	1531—33
463	Replantation of Coffee	1533—34
466	Geological Survey . .	1534—37
468	Supply of Jute Sack to West Germany	1537—39
469	Trade Delegation to Manila	1540—41
470	Grading of Coal . .	1541—42
473	Machines for Textile Mills	1542—44
474	Transport of Coal by Sea . .	1544—46
475	Target for Automobile Components	1546—48
477	Indianisation of Posts in Companies	1548—
478	Export of Iron Ore to Rumania	1549—51
480	Import of Seed Potatoes from Burma	1551—53
481	Coal Production .	1553—55

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
464	Heavy Plates and Vessels Project and Heavy Structurals Project	1555—56
465	Price of Tyres	1556
467	National Industrial Development Corporation .	1556
471	Production of Textiles . . .	1557
472	Coal Industry . . .	1557
476	Sale of Motor Cars	1558
479	Cement Factory in Hindustan Steel	1558
482	Price of Scrap Steel	1558—59

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६४०	चाय क्षेत्रों का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण	१५५६
६४१	समितियां तथा उप-समितियां	१५५६
६४२	आन्ध्र प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	१५५६—६०
६४३	आन्ध्र प्रदेश के लिये लोहा और इस्पात	१५६०
६४४	कोटागुडियम में कोयले का उत्पादन	१५६०
६४५	मोटरगाड़ी उद्योग के लिये इस्पात	१५६१
६४६	दिल्ली के कोयला व्यापारी	१५६१
६४७	छतों के लिये एस्बेस्टास चादरें	१५६२
६४८	सैलम में इस्पात का निर्माण	१५६२
६४६	उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों में सड़कें	१५६२—६३
६५०	लघु उद्योग	१५६३
६५१	भारी यान्त्रिक इंजीनियरिंग उद्योग	१५६३—६४
६५२	बेरियम रसायन	१५६४
६५३	विशाखापटनम में जस्ता प्रद्रावक संयंत्र	१५६४
६५४	केन्द्रीय दस्तकारी विभाग केन्द्र, बंगलौर	१५६४—६५
६५५	टैपिओका मील और टेपियानों चिप्स का निर्यात	१५६५
६५६	समुद्रतलों में खनिज निक्षेप	१५६५
६५७	जंग लगने से लोहे की बरबादी	१५६५—६६
६५८	हलके इंजीनियरी माल का निर्माण	१५६६
६५६	इंजीनियरी माल तैयार करने के लिये लाइसेंस	१५६६—६७
६६०	खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश	१५६७
६६१	पंजाब में लघु और कुटीर उद्योग	१५६७—६८
६६२	पटसन का निर्यात	१५६८
६६३	जम्मू और कश्मीर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	१५६८
६६४	माल का आयात	१५६८
६६५	इस्पात का निर्यात	१५६६
६६६	ट्रैक्टर	१५६६—७०
६६७	टाट का निर्यात	१५७०
६६८	रासायनिक पदार्थों का ईरान को निर्यात	१५७०
६६६	मिस्र को ब्लेडों और टार्चों का निर्यात	१५७१
६७०	खली और तेलों का निर्यात	१५७१
६७१	पश्चिम जर्मनी को चाय का निर्यात	१५७१
६७३	सीमेन्ट बनाने की मशीनों का निर्यात	१५७१—७२
६७४	रूरकेला इस्पात कारखाना	१५७२
६७५	आसाम में लघु उद्योग	१५७२—७३
सदस्य की गिरफ्तारी		१५७३
लोक लेखा समिति		
इक्कीसवां प्रतिवेदन		१५७३

WRITTEN ANSWERS TO QESTIONS—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
940	Techno-Economic Survey of Tea Areas	1559
941	Committee and Sub-Committees	1559
942	Geological Survey of Andhra Pradesh	1559—60
943	Iron and Steel for Andhra Pradesh	1560
944	Production of Coal at Kothagudam	1560
945	Steel for Automobile Industry	1561
946	Coal Traders of Delhi	1561
947	Asbestos Roofing Sheets	1562
948	Manufacture of Steel at Salem	1562
949	Roads in Orissa Coalfields	1562—63
950	Small Scale Industries	1563
951	Heavy Mechanical Engineering Industries	1563—64
952	Barium Chemicals	1564
953	Zinc Smelter Plant at Visakhapatnam	1564
954	Central Handicrafts Department Centre, Bangalore	1564—65
955	Export of Tapioca Meals and Chips	1565
956	Mineral Deposits in Ocean Beds	1565
957	Wastage of Iron through Rust	1565—66
958	Manufacture of Light Engineering Goods	1566—
959	Licences for Manufacturing Engineering Goods	1566—67
960	Khadi and Village Industries Board, Andhra Pradesh	1567
961	Small Scale and Cottage Industies in Punjab	1567—68
962	Jute Exports	1568
963	Public Sector Industries in Jammu and Kashmir	1568
964	Import of Materials	1568
965	Export of Steel	1569
966	Tractors	1569—70
967	Export of Jute Sackings	1570
968	Export of Chemicals to Iran	1570
969	Export of Blades and Torches to Egypt	1571
970	Export of Cakes and Oils	1571
971	Export of Tea to West Germany	1571—
973	Cement Machinery Manufacture	1571—72
974	Rourkela Steel Works	1572
975	Small Industries in Assam	1572—73

Arrest of Member 1573

Puhlic Accounts Committee—

Twenty-first Report 1573

विषय	पृष्ठ
आसाम में रंगिया रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक पदार्थ पकड़े जाने के बारे में वक्तव्य	१५७३–७४
श्री हजर वीस	
सभा का कार्य	१५७४—७६
श्री मुजफर हुसैन, संसद सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य	
श्री हजरनवीस	१५७६–७७
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा	
श्री अ० । न	१५७७—७९
श्री वासुदेवन नायर	१५७९—८१
श्री ब० रा० भगत	१५८१–८२
श्री भागवत झा आजाद	१५८३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
पैंतीसवां प्रतिवेदन	१५८४
आपात काल की उद्घोषणा के बारे में संकल्प अस्वीकृत	
श्री नन्दा	१५८४—८६
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	१५८६
भूमि सुधारों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	
श्री नम्बियार	१४८६—८९
श्री पें० वेंकटासुब्बया	१५८९
श्री रंगा	१५८९–९०
श्री मुत्तु गौंडर	१५९०
श्री शिन्दे	१५९०
श्री राम सेवक यादव	१५९०
श्री गौरी शंकर कक्कड़	१४९१–९२
श्री शिव नारायण	१५९२
श्री पे० शि० पाटिल	१५९२–९३
डा० राम सुभग सिंह	१५९३—९५
विषम उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	
श्री ना० गि० दुबे	१५९५

Subject	PAGE
Statement *re* : recovery of explosives at Rangiya Railway Station, Assam	1573-74
Business of the House	1574—76
Statement *re* : arrest of Shri Muzaffar Hussain, M.P.	
Shri Hazarnavis	1576-77
General Budget, 1964-65—General Discussion	
Shri A. P. Jain	1577—79
Shri Vasudevan Nair	1579—81
Shri B. R. Bhagat	1581—83
Shri Bhagwat Jha Azad	1583
Committee on Private Members' Bills and Resolutions— Thirty-fifth Report	1584
Resolution *re* : proclamation of emergency—Negatived —	
Shri Nanda	1584—86
Shri Tridib Kumar Chaudhuri	1586
Resolution *re* : Land reforms—Negatived—	
Shri Nambiar	1586—89
Shri P. Venkatasubbaiah	1589
Shri Ranga	1589-90
Shri Muthu Gounder	1590
Shri Shinde	1590
Shri Ram Sevak Yadav	1590
Shri Gauri Shankar Kakkar	1591-92
Shri Sheo Narain	1592
Shri D. S. Patil	1592-93
Shri Ram Subhag Singh	1593—95
Resolution *re* : Nationalisation of film industry—	
Shri R. G. Dubey	1595

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, ६ मार्च, १९६४/१६ फाल्गुन, १८८५ (शक)

Friday, March 6, 1964 / Phalguna 16, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्व जर्मनी के साथ व्यापार करार

+
*४६१. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जेबे :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व जर्मनी के साथ व्यापार करारों की अवधि को बढ़ा दिया है ;

(ख) क्या व्यापार करारों का पुनर्विलोकन करने के लिये किसी भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पूर्व जर्मनी जाने की संभावना है; और

(ग) क्या पूर्व जर्मनी सरकार के साथ किन्हीं नये व्यापार करारों के बारे में भी बातचीत हो रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). भारत और पूर्व जर्मनी के बीच १८ दिसम्बर १९५९ को जो व्यापार करार हुआ था वह ३१ दिसम्बर, १९६२ तक वैध था।

उसे ३१ दिसम्बर, १९६३ तक बढ़ा दिया गया है और अब उसे फिर ३१ दिसम्बर, १९६४ तक बढ़ा दिया गया है।

श्री रा० गि० दुबे : क्या आगे की तिथि तक बढ़ाये गये इस व्यापार करार में कुछ नये मद अथवा खण्ड भी हैं अथवा यथापूर्व स्थिति ही रखी गई है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : हाल ही में जो बातचीत हुई थी उसमें हमने इसमें लगभग ९ और मदों को बढ़ा दिया है, विशेष रूप से इंजीनियरी की वस्तुओं और भारी मशीनों के मदों को।

श्री रा० गि० दुबे : क्या नये व्यापार करारों के बारे में बातचीत करने के लिये भी कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं। और नई बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब विद्यमान व्यापार करार की अवधि समाप्त होने लगेगी, तो नई बातचीतें की जायेंगी।

श्री विश्वनाथ राय : क्या इस नये व्यापार करार से भारत और जर्मनी के बीच होने वाले व्यापार में वृद्धि होगी ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां। वह दुगना हो जायेगा। वह ९ करोड़ रुपये से बढ़कर १७ करोड़ ५० लाख रुपये का हो जायेगा।

श्री हेडा : व्यापार की मात्रा में जो वृद्धि होगी क्या उसके बारे में हमें कोई निश्चित बात बताई जा सकती है ?

श्री मनुभाई शाह : दो वर्ष पहिले यह केवल ३ करोड़ रुपये का था। अब यह ९ करोड़ रुपये का है और अगले वर्ष यह १७ करोड़ ५० लाख रुपये का हो जायेगा।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या खादी और ग्राम उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी इसमें सम्मिलित होंगी।

श्री मनुभाई शाह : अधिक नहीं। उन देशों में खादी की वस्तुयें अधिक लोकप्रिय नहीं हैं। परन्तु हम अमरीका को खादी का निर्यात करते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या पूर्व जर्मनी और रूसी प्रभाव क्षेत्र में आने वाले अन्य देशों के बीच एक राज्य से दूसरे राज्य के आधार पर व्यापार होता है अथवा क्या कोई वैकल्पिक मार्ग भी संभव है।

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य के प्रश्न में कुछ व्यंग कसा गया है। जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है उसमें भारतीय प्रभाव के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभाव नहीं है और हम एक संतुलित स्तर पर उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : What is the balance of payment position. Has the export been more or import ?

Shri Manubhai Shah : Both are equal

श्री रामसहाय पाण्डेय : इस देश के साथ साथ हमारा किन किन वस्तुओं में निर्यात और आयात व्यापार चल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : सभी चीज हैं। अगला प्रश्न।

श्री कपूर सिंह : श्रीमान्, व्यंग कसने का जो आरोप मुझ पर लगाया गया है उसके संबंध में क्या मुझे बताया जा सकता है कि मैंने जो सीधा प्रश्न पूछा था उसमें व्यंग किस स्थान पर कसा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य स्पष्ट रूप से ही इस बात से मना कर रहे हैं कि उसमें कोई व्यंग कसा गया था।

निर्यात-उधार तथा प्रत्याभूति निगम[1]

\+

*४६२. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का निर्यात-उधार तथा प्रत्याभूति निगम स्थापित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम के ठीक ठीक कृत्य क्या हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। निगम ने १५ जनवरी, १९६४ से कार्य करना प्रारम्भ किया था।

(ख) निगम के कृत्य निम्नलिखित हैं :—

(१) निर्यात जोखिम बीमा की योजनाओं को चलाना ;

(२) बैंकों को समय समय पर अधिकृत गारंटियां देना जिससे कि वह भारतीय निर्यातकों को और उदारतापूर्वक ऋण दे सकें।

(३) निर्यात को बढ़ाने के लिये पूरक ऋण सुविधायें देना ; और

(४) ऐसे अन्य कार्य करना जोकि भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार इस निगम को सौंपे।

[1]Export Credit and Guarantee Corporation.

श्री भागवत झा आजाद : जिन कृत्यों का अभी वर्णन किया गया है उनको पूरा करने के लिये प्रारम्भ में कितनी पूंजी लगाई गई थी ?

श्री मनुभाई शाह : २ करोड़ रुपये।

श्री भागवत झा आजाद : क्या कोई ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस निगम के कार्य करने के परिणामस्वरूप इससे निर्यात व्यापार को बढ़ाने में कितनी सहायता मिलेगी ?

श्री मनुभाई शाह : पहली बार ही हमने अपने निर्यात निगम को ब्रिटेन, जर्मनी और अमरीका के निर्यात-आयात बैंक के माडल के अनुसार बनाया है। अब यह इन सब सुविधाओं को प्रदान करेगा : अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और स्थानीय मूल्य के अन्तर का ऋण के रूप में देना, दीर्घकालीन भुगतान के संबंध में निर्यातकों को गारन्टी देना जैसाकि अन्य बाहरी देशों में पद्धति है, और ऋण पर ब्याज कम करके ऋण को सस्ता करना।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस निगम का एक कृत्य यह भी होगा कि उन देशों में जहां को हमारी वस्तुयें निर्यात की जाती हैं, विशेष रूप से सिलाई मशीन और अन्य इंजीनियरी वस्तुओं आदि जैसी वस्तुओं के, कारखाने स्थापित करें?

श्री मनुभाई शाह : कारखाने का इससे कोई संबंध नहीं है। यह ऋण की व्यवस्था करने वाला एक निगम है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस निगम को प्रारम्भ में जो २ करोड़ रुपये की पूंजी आवंटित की गई है वह पर्याप्त होगी अथवा यह केवल एक काल्पनिक राशि है और पूंजी लगाने की क्षमता उससे कहीं अधिक है ?

श्री मनुभाई शाह : परिदत्त पूंजी का बढ़ाये जाने से कोई संबंध नहीं है। यह एक बैंक की तरह से है ; सामान्यतया एक बैंक की १ करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी अथवा परिदत्त पूंजी होती है, परन्तु वह १०० करोड़ रुपये तक के सौदे करता है। इस निगम में भी यह होता है।

श्री अ० प्र० जैन : वित्त व्यवस्था के अन्य क्या साधन सम्भव होंगे ?

श्री मनुभाई शाह : वाउचरों, डिमान्ड ड्राफ्टों, साइटेड ड्राफ्टों, अनेक ऋण-पत्रों, पर बटा लेना--ये सब सम्भावित कार्य निगम द्वारा किये जायेंगे।

श्री वारियर : इन ऋण सुविधाओं को देश के अन्य सभी भागों में देने के लिये निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मनुभाई शाह : यह समस्त देश में दी जायेगी :

श्री रें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि निर्यात कोटा केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों को ही दिये जाते हैं और यदि हां, तो क्या इस निगम के द्वारा सरकार थोड़े कोटे वाले लोगों को वित्त उपलब्ध कराने के कार्य को सरल बनायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : इसमें कोटाओं की कोई बात नहीं है। यह तो केवल एक ऋण निगम है। आदेश प्राप्त करने के पश्चात् एक निर्यातक को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिये कुछ रुपये की आवश्यकता होती है। यह निगम वस्तुओं को जहाज पर लादने से पूर्व के व्यय के लिये धन देता है तथा पेकिंग ऋण देता है।

Shri Yashpal Singh : May I know the reasons which necessitated the replacement of Export Risks Corporation which was functioning before ?

Shri Manubhai Shah : It was carrying on only insurance busines against risks. Now guarantee and credit elements have been included in it.

Shri Tulshidas Jadhav : Both small and big industrialists will carry on export trade. Has it been decided as to who is to be given credit and how much ?

Shri Manubhai Shah : All this is decided however, this Corporation will provide more help to the small exporters because big exporters are financed by banks also. The small exporters by organising themselves may obtain credit from 85% to 90% under what is called 'over all cover.'

काफी का पुनःरोपण[1]

\+

*४६३. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्र० क० गोपालन :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत संयुक्त बागान मालिक संघ ने काफी के पुनः रोपण के लिये बागानों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बात क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने योजना की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां तो क्या परिणाम निकले हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, हां । दक्षिण भारत संयुक्त बागान मालिक संघ ने जो योजना तैयार की थी वह आंशिक रूप से अर्थसहायता के रूप में और आंशिक रूप से ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की थी जिससे कि बागान मालिक १,२०,००० एकड़ भूमि पर कम उपज वाले पौधों का १२ वर्ष के अन्दर पुनःरोपण कर सके। इस योजना की कुल लागत का अनुमान २४ करोड़ रुपये का लगाया गया था परन्तु काफी बोर्ड ने इसे १० करोड़ रुपये तक सीमित रखा है।

(ग) और (घ). काफी बोर्ड ने जिस योजना की सिफारिश की है वह विचाराधीन है।

श्री वारियर : इस जांच में कितना समय लग जायेगा और इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : आशा है कि लगभग तीन महीनों में।

श्री वारियर : क्या इस बीच सरकार अन्य किन्हीं अन्तरिम उपायों को अपनाने का विचार कर रही है ?

[1]Re plantation of Coffee.

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि बहुत सी योजनायें चल रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि यह चीज़ यहीं से शुरू हुई हो। हमारी किराया-खरीद योजना पुनःरोपण योजना, बागानों के लिये अर्थसहायता योजना और ऐसी अन्य बहुत सी योजनायें हैं।

श्री शिवनंजप्पा : क्या अन्य राज्यों के काफी बागान को भी यही सुविधायें प्रदान की जायेंगी?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां। यह समस्त देश के लिये हैं।

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सहायता केवल पुरान बागान मालिकों को ही दी जाती है अथवा नये बागान मालिकों को भी ?

Shri Manubhai Shah : We lay stress on replantation mostly because of the fact that no extra land is available where we could have new plantation. But if new plantation is also done somewhere, then financial assistance will be provided to them also.

भूतत्वीय सर्वेक्षण

*४६६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ भागों तथा तलछटी बेसिनों[1] में भूतत्वीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ;

(ख) इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप क्रमबद्ध भूतत्वीय मानचित्रण कहां तक संभव हो सका है ; और

(ग) क्या किसी समय उड़ीसा के किसी भाग का भी सर्वेक्षण किया गया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव (श्री सिम्मय्या) : (क) जी, हां।

(ख) भूतत्वीय मानचित्रण भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षणों का एक अंग है जोकि देश के खनिज धन का अनुमान लगाने के लिये किये गये थे। १९६३ तक, देश के लगभग १,०६८,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का १ : ६३,३६० के पैमाने पर मानचित्रण किया गया है।

(ग) जी, हां। भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था ने जो कार्य उड़ीसा में किया है वह सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४६०/६४]**

श्री महेश्वर नायक : विवरण से मैं यह देखता हूं कि एक बड़ी भारी भूल यह हुई है कि मेरे जिले मयूरभंज को, जहां कि लोहे और इस्पात के सबसे बड़े कारखानों में से एक कारखाना जमशेदपुर में स्थापित है, सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्या उसे इस प्रकार से छोड़ दिये जाने के कारण मैं जान सकता हूं और क्या यह भी जान सकता हूं कि इस जिले को सर्वेक्षण के क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिये क्या कोई कदम उठाये गये हैं ?

[1]Sedimentary basins.

श्री तिम्मय्या : कौनसा जिला ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिये।

श्री महेश्वर नायक : मेरी शिकायत यह है कि मेरे जिले .....

अध्यक्ष महोदय : उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिये। उन्हें जानकारी ही पूछनी चाहिये।

श्री महेश्वर नायक : मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि मेरे जिले को, जहां कि भारत के लोहे और इस्पात के सबसे बड़े कारखानो में से एक कारखाना जमशेदपुर में स्थापित है अर्थात् टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, सर्वेक्षण में से क्यों निकाल दिया गया है ?

श्री तिम्मय्या : भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था की क्रमबद्ध मानचित्रण और विस्तृत मानचित्रण करने की अपनी एक अलग योजना है। प्रत्येक वर्ष उस योजना के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। मेरा विचार है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था द्वारा माननीय सदस्य के जिले में सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा।

श्री महेश्वर नायक : हाल ही में सदन में यह बताया गया था कि भारत में भूतत्वीय विशेषज्ञों की भारी कमी है। क्या वह कमी इस समय तक दूर कर दी गई है ?

श्री तिम्मय्या : यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था में प्रविधिक कर्मचारियों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिये मंत्रालय भरसक प्रयत्न कर रहा है।

Shri Sheo Narain : Will the Geological Survey be carried on in places like Nainital in Uttar-Pradesh ?

श्री तिम्मय्या : भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था अपनी योजना के अनसार ही समस्त देश में क्रमबद्ध भूतत्वीय मानचित्रण का कार्य कर रही है।

श्री रामसहाय पाण्डेय : क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी खनिज सम्पत्ति है, अतः क्या मध्य प्रदेश का पूरा सर्वेक्षण कराने के लिये भूतत्ववेत्ताओं का कोई दल किसी बाहर के देश से आमंत्रित किया गया है ?

श्री तिम्मय्या : जी, नहीं।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कोरापुट जिले के कोटपाद और मालकांगिड़ी क्षेत्रों में चूने के भारी निक्षेप पाये गये हैं, यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में वहां पर एक सीमेंट कारखाना खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि०सुब्रह्मण्यम) : श्रीमन्, देश के प्रत्येक भाग के बारे में हम उत्तर नहीं दे सकते। यह सर्वेक्षण की एक सामान्य योजना है और उसके अनुसार कार्य किया जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कर्मचारियों और वायु तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण के उपकरणों दोनों ही चीजों से विभाग को मजबूत करने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वायु तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमने इस कार्य को अभी हाल ही में प्रारम्भ किया है और आशा है कि हमें उपकरण प्राप्त हो जायेंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या प्रोफेसर लिओ पिकार्ड की इस खोज को कि सख्त चूने की तहों के नीचे पानी मिल सकता है सर्वेक्षण कार्य करते समय ध्यान में रखा जाता है और यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रतिविधी सहायता की सेवाओं की मांग की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा भूमिगत जल सम्बन्धी सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। मैं एक ऐसा प्रविधिक जानकारी वाला व्यक्ति तो हूं नहीं कि मैं यह बता सकूं कि किन अवस्थाओं में भूमिगत जल पाया जा सकता है ।

श्री कपूर सिंह : क्या संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता की सेवाओं की मांग की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: जब कभी विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है तो हम उसे मांगते हैं। भूमिगत जल का सर्वेक्षण करने के लिये हमारे पास पर्याप्त आदमी हैं।

श्री कपूर सिंह : अभी अभी यह बताया गया था कि प्रविधिक कर्मचारी हमारी आवश्यकताओं से कम हैं।

श्री हिम्मतसिंह जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में अल्यूमिनियम का बहुत अधिक महत्व होगा, क्या सरकार उन खानों में, विशेषरूप से गुजरात की खानों में, जहां कि बैक्साइड पाया जाता है खनिज निकालने का कार्य करने की सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के अनुसार पहले सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा और फिर हम अन्य कार्य करना आरम्भ करेंगे ।

श्री वारियर : खनिज पदार्थों और अन्य वस्तुओं के लिये मानचित्रण करने में भारत सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है ? क्या यह कार्य राज्य सरकारों की प्रार्थना पर किया जाता है अथवा भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था स्वयं अपनी ओर से ही अनेक स्थानों पर जाकर इस कार्य को करती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रत्येक वर्ष के सर्वेक्षण और प्रत्येक योजना की अवधि के लिये भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था अपना एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करती है । उस कार्यक्रम के अनुसार सर्वेक्षण किया जाता है ।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १५ वर्ष पहले डा० अम्बेडकर ने एक योजना तैयार की थी और सदन को यह आवश्वासन दिया था कि आवश्यक कर्मचारीगण प्रशिक्षित किये जा रहे हैं और इस से विभाग की स्थिति मजबूत हो जायेगी और अब भी सरकार यह कहती हैं कि सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिये उन के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं, क्या मैं जान सकता हू कि क्या विभाग के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने की उनकी कोई एक भी योजना है जिस से कि सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के अभाव के कारण कुछ स्थान अभी तक रिक्त पड़े हुए हैं जिन्हें कि भरा जाना है । परन्तु हम कर्मचारियों की निरन्तर भर्ती कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं तथा उन स्थानों को भर रहे हैं।

डा० सरोजनी महिषी : क्या लद्दाख क्षेत्र में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन्, यह एक बहुत ही निराशा जनक विवरण है । मैंने उसे पढ़ा है । उस में यह कहा गया है कि चीनी मिट्टी निकाली जा रही है, तांबे के सम्बन्ध में अभी देखना है, कोयले की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और सोना अलाभकारी है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह तो उड़ीसा के बारे में कहा गया है ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं भी तो उड़ीसा के बारे में ही बात कर रहा हूं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने उड़ीसा के सम्बन्ध में जो विवरण सभा-पटल पर रखा है उसे पढ़कर बहुत ही निराशा उत्पन्न होती है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कह कर तो आलोचना की जा रही है, कोई जानकारी नहीं पूछी जा रही है ।

श्री दी० चं० शर्मा : कल उन्हें किसी ऐसे खनिज पदार्थ का पता लगा है जो कि देश के लिये आर्थिक महत्व का सिद्ध हो सकता है ? अन्यथा तो, यह कार्य अलाभकारी होगा . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना प्रश्न तो पूछ लिया है । अपनी आलोचना वे अन्य किसी अवसर पर कर सकते हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भूतत्वीय सर्वेक्षण से यथार्थ स्थिति का पता चलता है । वे नवीन संसाधनों को उत्पन्न तो नहीं कर सकते।

पश्चिम जर्मनी को पटसन के बोरों का संभरण

***४६८. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम जर्मनी के "बैग्स एण्ड कैनवस इम्पोर्टस ऐसोसिएशन" के आयात तथा निर्यात डिवीज़न के प्रधान, श्री थ्योडोर श्वार्ज़, द्वारा कलकत्ता में की गई कथित शिकायत की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि भारत से पश्चिम जर्मनी को भेजे जाने वाले पटसन के बोरे दिए गए नमूने के अनुसार नहीं होते तथा अमरीका को भेजे जाने वाले माल से घटिया किस्म के होते हैं ; और

(ख) क्या सरकार यह शिकायत भारतीय पटसन मिल संस्था तथा संबंधित निर्यातकों की सूचना में ले आई है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ; केवल कुछ परेषणों के मामले में ही ।

(ख) जी, हां । भारतीय पटसन मिल संस्था ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि कोई अन्तर नहीं रखा गया । अब जूट की बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये वे शीघ्र ही एक किस्म नियंत्रण योजना तथा जहाजों मे लादे गये जाने से पूर्व माल की जांच करने की योजना चालू कर रहे हैं ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या इस प्रकार की शिकायतों की ओर भारतीय पटसन मिल संस्था का ध्यान आकर्षित किया गया है कि और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्यात से हमको आय करने वाले सबसे बड़े पदार्थों में से जूट एक है क्या सरकार अथवा भारतीय पटसन मिल संस्था का कोई ऐसा विशेष संगठन है जो कि इस प्रकार की शिकायतों को दूर कर सके ?

श्री मनुभाई शाह : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं । परन्तु हमको यह महसूस करना चाहिये कि जूट की बनी वस्तुओं का निर्यात बहुत बढ़ रहा है और गत दो वर्षों में हम ने विगत काल से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की है । संसार के १३० देश इसे खरीद रहे हैं । यदि किसी खरीददार देश से कोई छुट पुट शिकायत आती है तो हमें इसके बारे में चिन्तित नहीं होना चाहिये । हम कार्यवाही कर रहे हैं और हम ने किस्म नियंत्रण योजना तथा जहाज पर माल लादे जाने से पूर्व उसकी जांच की योजना चालू कर दी है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मेरा प्रश्न यह तो नहीं था । मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसी समिति है ...

श्री मनुभाई शाह : किस्म नियंत्रण किसी समिति के द्वारा नहीं किया जाता । नमूने सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और इस बात को देखने के लिये एक अधिकारी नियुक्त किया हुआ है कि जो माल भेजा जाय वह नमूनों के अनुसार ही हो ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मान लीजिये कि जिन लोगों को अथवा जिस देश को हम निर्यात कर रहे हैं उनकी कोई शिकायत है । तो वे किस से शिकायत करें ? भारत सरकार किस प्रकार से खरीददारों की सहायता करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : पहले तो वे स्वयं माल भेजने वाले से ही शिकायत करते हैं । यदि ठेके की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है और वे लोग संभरणकर्ता के कार्य से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे मध्यस्थनिर्णय करवाते हैं । फिर मध्यस्थनिर्णय का एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है जो कि अंतिम फैसला करता है । परन्तु मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को माने कि इस किस्म की वस्तुऐं बहुत भारी मात्रा में निर्यात की जाती रही हैं और कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इसलिये, यदि कुछ एक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हम निश्चय ही उन्हें दूर करेंगे और हम को उन से चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra : Has Government conducted an inquiry into this specific complaint as to why that consignment was of inferior order and who was responsible for the same ?

Shri Manubhai Shah : Some body is responsible for it but error is committed sometimes as jute goods worth crores of rupees are being exported. Even the goods imported from abroad include some inferior quality goods. By saying this we do not mean to protect these exporters but we must see *inter alia* that the genuine complaints are removed and we must try to prevent them and not that we must be alarmed about them.

श्री स० चं० सामन्त : क्या एक ऐसी निर्यात संवर्द्धन समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है । जिसे कि किस्म और वस्तुओं की अन्य विशेषतायें की जांच करने का अधिकार होगा ?

श्री मनुभाई शाह : निर्यात संवर्द्धन समिति स्थापित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हम बहत सारी समितियां नहीं बनाना चाहते। संसद् द्वारा स्थापित की गई एक संविधिक परिषद् है ही । भारत से बाहर जाने वाली जूट की बनी सभी वस्तुओं की लदान किये जाने से पूर्व जांच की जाती है तथा उनके बारे में किस्म नियंत्रण योजना भी लागू है ।

श्रीमती सावित्री निगम : जूट की बनी हुई वस्तुओं के बढ़ते हुए निर्यात व्यापार को ध्यान में रखते हुए, इनकी किस्म का सुधार करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह एक बहुत ही विषयसंगत प्रश्न है । हम बहुत से कार्य कर रहे हैं । एक तो स्वयं रेशे की ही किस्म का सुधार करना है । रेशे के अच्छे रंग और अधिक लम्बाई के लिये कृषि मंत्रालय बहुत से प्रोत्साहन देता है । इन सब कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप शनैः शनैः किस्म में सुधार हो जायेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार सदन को यह बता सकता है कि क्या भारतीय पटसन मिल संस्था की ऐसी कोई समितियां हैं जो कि निर्यात की जाने वाली जूट की बनी वस्तुओं की किस्म की जांच करती है :

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले पूछा गया था और उसका उत्तर दे दिया गया था ।

श्री कपूर सिंह : क्या उन मामलों में जिन में कि निर्यातक लोग भारत की व्यापारिक ख्याति को इस प्रकार से आघात पहुंचाते हों उनको कड़ा दण्ड देने के लिये कोई विधान बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री मनुभाई शाह : इस गरिमायुक्त सदन ने जो अधिनियम पास किया था उस में दूसरी बार के अपराध पर २ वर्ष के कारावास के दण्ड की व्यवस्था की गई है । छोटे से अपराध के लिये भी ३००० रुपये दण्ड रखा गया है । जहां तक इसके अपराध का सम्बन्ध है, दोनों ही साथ साथ अनिवार्य हैं।

श्री कपूर सिंह : इन उपबधों को और कड़ा कीजिये ।

Shri Sheo Narain : May I know as to whether there are any jute exporters among the Members of this Council ?

Shri Manubhai Shah : Yes, so many.

मनीला को व्यापार शिष्टमंडल

+
*४६६. श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री किशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और फिलिपाइन्स के बीच व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक भारतीय व्यापार शिष्टमण्डल मनीला गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसको कितनी सफलता मिली है, और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय व्यापार शिष्टमण्डल ने फिलिपाइन्स के अधिकारियों के साथ हुई अपनी बातचीत के फलस्वरूप उस क्षेत्रों का निर्धारण किया जहां कि दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग में वृद्धिसंभव है । बातचीत के दौरान स्वीकार की गई मोटी बातें सम्मत कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित की गई थीं जिस पर १४ फरवरी, १९६४ को मनीला में हस्ताक्षर किये गये थे। किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और न ही शिष्टमंडल किसी समझौते को करने के लिये गया था । फिलिपाइन्स के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को मैंने भारत आने का निमंत्रण दिया है ताकि व्यापार तथा आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने के बारे में बातचीत की जा सके तथा भारत और फिलिपाइन्स के बीच समझौता किया जा सके ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the names of commodities which would be imported and exported under the trade agreement signed?

Shri Manubhai Shah : For the time being, we would export light -engineering products, processed material, hides and skins, shoes and textiles and Commodities like that and import commodities manufactured in Philippines such as copra, fine oil and mineral oil.

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether we would export on barter system or on rupee payment ?

Shri Manubhai Shah : It will not be on barter basis. It will be on sterling and dollars basis—free foreign exchange.

श्री वारियर : इस समय स्वयं सरकार के पास कुछ चीजें हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ नयी चीज़ें आयात तथा निर्यात के लिये तैयार की जा रही हैं।

श्री मनुभाई शाह : जी, हां । अनेक चीजें हैं। वस्तुत: जब मैं मनीला में था तो फिलिपाइन्स की सरकार को ट्रांसमीशन टावर तथा टेलीफोन सम्बन्धी उपकरण का निर्यात करने के लिये एक संविदा पर हस्ताक्षर हुए थे।

Shri Tulshidas Jadhav : Has any provision been made to strike an export and import balance or we would export less and import more?

Shri Manubhai Shah : There is no question of balancing. We would export and import according to requirements.

श्री महेश्वर नायक : क्या सरकार यह बता सकती है कि विदेशों को जो व्यापार शिष्ट-मंडल जाते रहते हैं उन पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक पूर्णतया भिन्न प्रश्न है ।

श्री श्यामलाल शर्राफ : सरकार का विचार वहां से किन वस्तुओं का आयात करने का है और इस निर्यात आयात के फलस्वरूप क्या इस देश के पास कोई व्यापार अन्तर हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जबाब दिया जा चुका है ।

श्री रंगा : क्या फिलिपाइन्स को हथकरघा वस्त्रों के निर्यात की कुछ अच्छी संभावनायें हैं और क्या हम वहां से चावल का आयात कर सकते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हथकरघा वस्त्रों के बारे में कुछ कठिनाई है क्योंकि उन के यहां एक विशाल स्वदेशीय हथकरघा तथा दस्तकारी उद्योग है । परन्तु उनको इस बात के लिये प्रेरित किया जा रहा है कि वे हमारे हथकरघा वस्त्रों को और अधिक खरीदें ।

श्री रंगा : चावल के बारे में ?

श्री मनुभाई शाह : यह वस्तु विनिमय का प्रश्न नहीं है ।

कोयले का श्रेणीकरण

\+

*४७०. { **श्री हेडा :**
{ **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला नमूना तथा श्रेणीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति के जून १९६२ में पेश किए गए प्रतिवेदन की जांच कर ली है ; और

(ख) कोयले की उपयोगी ताप मात्रा के अनुसार कोयले के वैज्ञानिक वर्गीकरण तथा श्रेणीकरण के बारे में की गई सिफारिशों पर सरकार का क्या विचार है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) और (ख) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

श्री हेडा : प्रतिवेदन को दिये हुए लगभग २ वर्ष हो चुके हैं। सरकार इस पर विचार करने में और कितना अधिक समय लेगी ?

श्री तिम्मय्या : समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद मंत्रालय ने कोयले के ताप मूल्य को निर्धारित करने के लिये किसी सूत्र का पता लगाने तथा यह मालूम करने के लिये कि कोयले में वे कौन से पदार्थ हैं, रासायनिक अथवा अन्यथा, जो कि कोयले के ताप मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं और किस सीमा तक, एक उप समिति नियुक्त की थी । समिति ने हाल में ही अपना प्रतिवेदन दिया है तथा यथासम्भव शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

श्री हेडा: सरकार ने हाल में ही कुछ श्रेणियों के कोयले के मूल्य में वृद्धि की है । क्या इस वृद्धि का इस प्रतिवेदन में कोई सम्बन्ध है ?

श्री तिम्मय्या : जी, नहीं ।

Shri Yashpal Singh : Has this Committee recommended for the acquisition of a crushing machine and if so will it have to be imported or it is locally available ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जी, हां । इन परीक्षणों के लिये कुछ उपकरणों की आवश्यकता है तथा इनका आयात करना पड़ेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस दूसरी समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिये वस्तुत: कब कार्यवाही की जायेगी या ऐसा है कि इस हेतु कि इसका प्रतिवेदन कार्यान्तिव कैसे किया जाय कोई तीसरी समिति नियुक्त की जायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं । दूसरी समिति के प्रतिवेदन की कार्यान्विति के लिये तत्काल कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या देश में काफी मात्रा में कोयले का उत्पादन होने के बाद भी उचित श्रेणी के कोयले का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप रेलवे जैसे विभाग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक पृथक प्रश्न है । यह प्रश्न कोयले के श्रेणीकरण से सम्बन्ध रखता है ।

Machines for Textile Mills

\+

*473. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Dr. Ranen Sen :
Shri Dinen Bhattacharya :
Dr. Saradish Roy :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that an order worth Rs. 10 crores has been placed with a British firm for supplying machines to textile mills in the country ;

(b) if so, the names of the textile mills that will receive the machinery; and

(*c*) when the machines would be supplied to them?

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (*a*) The negotiations in regard to this are now in hand.

(*b*) *and* (*c*). Do not arise at this stage.

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister said that negotiations were going on to award a contract to this British firm. May I know whether tenders have been invited from other countries also ?

Shri Kanungo : There is no question of inviting any tender. The capacity available with us would not suffer and therefore we require these machines. We are negotiating with the bank and the manufacturer because they have agreed to supply us with these machines on 10-year credit basis.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know in how many years the money will be realised from those mills whom the government has decided to give these machines ?

Shri Kanungo : At present negotiations are under way to realise the total amount within a period of ten years.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कपड़ा मशीनों की राष्ट्रीय आवश्यकता कितनी है, देश में इनका कितना निर्माण होता है तथा आवश्यकता और वर्तमान उपलब्धता में कितना अन्तर है ?

श्री कानूनगो : बहुत अधिक अन्तर है । इस समय हमें ३० लाख तकुओं के लिये कातने की क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता है और मेरा विश्वास है कि हमारा वार्षिक उत्पादन लगभग ५,००० है ।

श्री वारियर : इन आयातित मशीनों तथा देश में बनाई जानी वाली मशीनों के मूल्य में क्या अन्तर है तथा क्या वह अन्तर उत्पादन लागत से पूरा हो जायेगा ?

श्री कानूनगो : वस्तुत: हम सारी मशीनों का आयात नहीं कर रहे हैं । हम केवल कुछ ऐसी मशीनों का आयात कर रहे हैं जिनके शीघ्र ही उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । दूसरे मूल्य भी कम हैं।

श्री फिरोडिया : क्या पुरानी कपड़ा मिलों ने नई मशीनों की खरीद के लिये आयात लाइसेंस की मांग की है जिससे इन्हीं करघों की मदद से मिलों में अधिक उत्पादन होने लगेगा ?

श्री कानूनगो : मांग तो की गई है परन्तु हम उसको पूरा नहीं कर सकते।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि इन मशीनों का संभरण कम होने के कारण ऐसी कपड़ा मिलों में, जिनको कि लाइसेंस मिल चुका है, उत्पादन चालू नहीं हुआ है और यदि हां, तो नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्री कानूनगो : यही कारण है कि हम इनको उधार पर लेने का प्रयत्न कर रहे हैं । जहां तक एक या दो वर्षों की वृद्धि का सम्बन्ध है, जितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दिया गया है वह मशीन द्वारा किये जाने वाले उत्पादन से अधिक है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : किस किस्म की मशीनों की खरीद की जा रही है ?

श्री कानूनगो : अधिकांशतया कार्डिंग, तैयार करने वाली तथा माल को अन्तिम रूप देने वाली मशीनें खरीदी जायेंगी।

श्री हेडा : उत्पादन की कमी के अतिरिक्त, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अधिक उन्नत मशीनों को आयात करने का प्रश्न विचाराधीन है ताकि हमारे निर्माता भी इस प्रकार की मशीनों का बनाना प्रारम्भ कर दें ?

श्री कानूनगो : उच्चतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिस्थापन के लिये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सब चीजें संतुलित हैं तथा उन मशीनों को प्राप्त करने के बारे में सोचा जा रहा है जो कि स्थिति के अनुसार सब से अच्छा कार्य करके दिखायेंगे।

Shri Rameshwaranand : As a matter of fact all sorts of machines are being had from foreign countries. But as far as textile machinery is concerned, how long will it take to get this machinery manufactured in the country?

Shri Kanungo : Machines are being manufactured, though not in large number.

Shri Rameshwaranand : How long will it take ?

Shri Kanungo : About four or five years.

समुद्र मार्ग द्वारा कोयले का परिवहन

*४७४. **श्री श्यामलाल शर्राफ :** क्या **इस्पात खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों को समुद्र मार्ग द्वारा कोयले का संभरण संतोषजनक रूप में हो रहा है;

(ख) जहां तक कोयले के ढुलाई व्यय का सम्बन्ध है, क्या यह तरीका उपभोक्ताओं को अलाभप्रद सिद्ध हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जी, हां। वर्ष १९६३ में रेलवे तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों को समुद्र मार्ग द्वारा प्रति वर्ष २० लाख टन के लक्ष्य के विरुद्ध १८.७ लाख टन कोयला ढोया गया।

(ख) जी, नहीं। यह संभरण उपभोक्ताओं के लिये अलाभप्रद नहीं है क्योंकि यदि कोयला सारे रास्ते रेल से ढोया गया हो तो उसको जो व्यय करना पड़ेगा और ढुलाई की वास्तविक लागत के बीच के अन्तर के बराबर सरकार से राजसहायता मिलती है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री श्याम लाल सर्राफ : अब यह कहा जा रहा है कि रेलवे में कोयला ढोने की क्षमता उपलब्ध है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन पर पुनर्विचार करेगी और भारत के दक्षिणी और पश्चिमी भागों को कोयला रेल द्वारा भेजेगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : निस्सन्देह रेल-परिवहन क्षमता पर्याप्त रूप से उपलब्ध है परन्तु हमें तटीय नौवहन का भी विकास करना है और इसलिये तटीय नौवहन द्वारा कोयले का ढोया जाना जारी रखा गया है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्योंकि समुद्र मार्ग से कोयला ढोये जाने में काफी समय लगता है, क्या मैं जान सकता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि जहां तक दक्षिण में उपभोक्ता उद्योगों का सम्बन्ध है, उनको कोयले का समय पर संभरण किया जाये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक उपभोक्ता उद्योगों का सम्बन्ध है, उन्हें कोयला समय पर मिल रहा है।

श्री अ० प्र० शर्मा : जब कि यह पता है कि समुद्र-मार्ग से कोयला ढोये जाने पर अधिक लागत ही नहीं बैठती है बल्कि इसमें समय भी अधिक लगता है, क्या यह उचित नहीं है कि इसके लिये रेलवे की फालतू क्षमता का उपयोग किया जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मुख्य प्रश्न का उत्तर देते समय संसदीय सचिव ने प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर हां में दिये हैं . . .

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : भाग (ख) के उत्तर में उन्होंने 'नहीं' कहा है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मुझे खेद है।

श्रीमती सावित्री निगम् : क्या यह सच है कि इन सभी प्रश्नों की पूरी तरह जांच करने के लिये एक जांच समिति स्थापित की गयी थी और यदि हां, तो अब तक उस समिति की कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित की गयी हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मुझे खेद है, इस समिति के बारे में तथ्य मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्री वारियर : क्या सरकार को दक्षिण भारत में, विशेषत: केरल से, फाउंड्री-मालिकों से इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें अपनी फाउंड्रियों के लिये पर्याप्त कोक नहीं मिल रहा है, जिसके फलस्वरूप अन्य देशों को कुछवस्तुओं के निर्यात में बाधा पड़ी है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कदम उठाये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : कोक एक भिन्न वस्तु है और कोक का संभरण भी कम हो रहा है और इसलिये कठिनाइयां हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : तटीय नौवहन द्वारा कोयले की ढुलाई किये जाने से पूर्व इसकी क्षमता क्या थी ? क्या मैं यह समझूं कि कोयले के बगैर तटीय नौवहन के लिये पर्याप्त सामान नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में तटीय नौवहन को २० लाख टन कोयले की ढुलाई के लिये सुदृढ़ किया गया। यदि हम इसकी ढुलाई नहीं करते हैं, तो हम तटीय नौवहन में कठिनाई पैदा करेंगे।

श्री तिरुमल राव : भारतीय नौवहन द्वारा कोयला ढोने के लिये सरकार को एक वर्ष में राज सहायता के रूप में कितनी रकम देनी होती है ?

श्री तिम्मय्या : वर्ष १९६१–६२ में हमने रेलवे को राजसहायता के रूप में लगभग २१३ लाख रुपया दिया और वर्ष १९६२–६३ रेलवे को ३१६ लाख रुपये और औद्योगिक उपभोक्ताओं को ४० लाख रुपये दिये ; वर्ष १९६३–६४ से रेलवे को ३०७ लाख रुपय और औद्योगिक उपभोक्ताओं को लगभग १७४ लाख रुपये की रकम दी जानी है। यह रकम अभी दी जानी है।

श्री तिरुमल राव : मेरा प्रश्न भारतीय तटीय नौवहन के लिये राज-सहायता के बारे में है। वह रेलवे के बारे में आंकड़े बता रहे हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : भाड़ा सम्बन्धित नौवहन को दिया जाता है। लेकिन अतिरिक्त भाड़ा उप-भोक्ताओं को दिया जाता है, मुख्य उपभोक्ता रेलवे और औद्योगिक उपक्रम हैं। संसदीय सचिव ने उपभोक्ताओं को दी गयी राज-सहायता के आंकड़े दिये हैं।

Shri Yashpal Singh : Have there been complaints to the effect that big persons have got more subsidy? On what criteria was this subsidy granted?

श्री तिम्मय्या : अधिक राज-सहायता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। रेल और रेल-एवं-जहाज द्वारा परिवहन की वास्तविक लागत के बीच के अन्तर का भुगतान किया जायेगा। किसी को अधिक देने का कोई प्रश्न नहीं है।

मोटरगाड़ी पुर्जों के उत्पादन का लक्ष्य

***४७५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री १४ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ बताया है कि यदि मोटरगाड़ी निर्माता वर्ष के अन्त तक ९० प्रतिशत पुर्जे बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकेंगे तो क्या कार्यवाही की जायेगी;

(ख) इससे कार की लागत कितनी कम हो जायेगी;

(ग) प्रत्येक संस्था की विदेशी मुद्रा की वर्तमान आवश्यकता क्या है तथा गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितना आवंटन किया गया है; और

(घ) जब ९० प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो जायेगा तब प्रत्येक के लिए कितनी विदेशी मद्रा की आवश्यकता होगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह सुनिश्चित करने के लिये कि देशीय उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने में कोई अनुचित विलम्ब न हो, निर्माताओं द्वारा की गयी प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

(ख) मोटर गाड़ियों में देशी पुर्जों की संख्या बढ़ाने से मूल्यों में कमी होने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० २४६१/६४]**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : देशी पुर्जों की प्रतिशतता मे वृद्धि होने के बावजूद ऐसा कैसे है कि कुछ उपक्रमों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता घटने के बजाय बढ़ जायेगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह बढ़ेगी नहीं। हमे बनायी जाने वाली कारों की संख्या को ध्यान में रख कर हिसाब लगाना पड़ता है। वर्ष १९६२-६३ में उत्पादन बहुत कम हुआ। जब वे अधिकतम क्षमता पर उत्पादन करेंगे तो दस प्रतिशत राशि भी उनको वर्ष १९६२-६३ में उत्पादन के लिये दी गयी राशि से अधिक होगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या हम ९० प्रतिशत पर रुक जायेंगे ? या एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है कि हम शत-प्रतिशत उत्पादन देश में ही करें और अभी भी इसके लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा को बचा सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुछ ऐसे पुर्जे हैं जो यहां पर तब तक सस्ते नहीं बनाये जा सकते जब तक कि उनको बड़े पैमाने पर न बनाया जाये। जब हम ९० प्रतिशत उत्पादन करने लगेंगे तो हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या किसी अन्य पुर्जे का देशीय तौर पर उत्पादन किया जा सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : विवरण से पता चलता है कि मेसर्ज टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को सबसे अधिक अर्थात ६२६ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा मिलती है। इसको इतनी अधिक विदेशी मुद्रा की क्या आवश्यकता ह और इसको कम करने के लिये कुछ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक टाटा कम्पनी का सम्बन्ध है, हमें प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त आवंटन करना पड़ता है। ट्रकों में कुछ परिवर्तन करने पड़े जिस के लिए अतिरिक्त पुर्जों का आयात करना था। अतः इन को अतिरिक्त राशि दी गयी है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह आपातकाल से पहले की बात है।

श्री अ० प्र० जैन : क्या यह अनुभव रहा है कि देशी पुर्जों की प्रतिशतता में हर वृद्धि के बाद मोटरगाड़ी उद्योग ने सरकार से मूल्यों में वृद्धि करने की प्रार्थना की ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सच है क्योंकि सामान्यतः देशी पुर्जे आयातित पुर्जों से महंगे बैठते हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : में मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाता हूं कि जब कि केवल १० प्रतिशत आयातित पुर्जे इस्तेमाल किये जायेंगे तब भी विदेशी मुद्रा का आवंटन अब किये जा रहे विदेशी मुद्रा के आवंटन का ८१ प्रतिशत होगा ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि देशी पुर्जों का हिसाब किस आधार पर लगाया जाता है। मदों की संख्या के आधार पर या मूल्य के आधार पर ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कई कारों और ट्रकों के मामले में यह ७६ प्रतिशत है और कुछ मामलों में ७९ प्रतिशत। अतः जब वे ९० प्रतिशत तक पहुंच जायेंगे तो बचत थोड़ी ही होगी। दूसरे जब हम वस्तुओं का अधिक उत्पादन करते हैं तो स्पष्टतः उन के लिये विदेशी मुद्रा में उसी हद तक वृद्धि हो जायेगी।

श्री जोकीम आल्वा : सरकार को इस बात की जानकारी तो होगी कि महेन्द्रा कम्पनी को वर्ष १९५० से जीपों के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है और उन को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है । वे इस देश में शत प्रतिशत जीपों का उत्पादन कब तक कर सकेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वे ७९.१५ प्रतिशत देशी पुर्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं; इस वर्ष के अन्त तक वे भी ९० प्रतिशत देशी पुर्जे इस्तेमाल करने लगेंगे ।

श्री रंगा : इन दस प्रतिशत पुर्जों की कार के मूल्य से क्या तुलना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह मोटरगाड़ी की उत्पादन-लागत का दस प्रतिशत है ।

श्री फिरोदिया : सहायक उद्योगों को ९० प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सहायक उद्योगों को अधिक पुर्जे बनाने के लिए हम सभी सहायता दे रहे हैं जैसे उपकरण प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा ।

कम्पनियों के पदों पर भारतीयों की नियुक्तियां

*४७७. **श्री डी० चं० शर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली वाणिज्यिक तथा औद्योगिक कम्पनियों के उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने के लक्ष्य १९६३ में पूरे हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन का विवरण क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) इस बारे में २१ फरवरी, १९६४ को जारी किये गये एक प्रेस नोट की ओर ध्यान दिलाया जाता है । इस की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रखी गई है ।

श्री डी० चं० शर्मा : इस प्रेस नोट की जिसका मंत्री महोदय ने निर्देश किया है, मुख्य बातें क्या हैं ? यह सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये है या केवल कुछ श्रेणियों के लिये ?

श्री कानूनगो : यह सभी श्रेणियों के लिए है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रकाशित है और सदस्यगण इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते ।

श्री डी० चं० शर्मा : जहां तक ऊंचे वेतन वाले पदों का सम्बन्ध है, उस में भारतीयों की क्या प्रतिशतता है ? प्रतिशतता नहीं दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रतिशतता दी गई है ?

श्री कानूनगो : प्रतिशतता दी गई है ।

श्री महेश्वर नायक : कुछ समय पहले यह कहा गया था कि कुछ विदेशी समवायों ने अपने प्रतिवेदन नहीं दिये हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब तक प्रतिवेदन दिये जा चुके हैं ?

श्री कानूनगो: इन प्रतिवेदनों के आधार पर, प्रेस नोट जारी किया गया है ।

रूमानिया को लौह अयस्क का निर्यात

+

*४७८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लौह अयस्क के निर्यात के लिये रूमानिया सरकार के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). रूमानिया को लौह-अयस्क के संभरण के लिये १९६४ संविदा को अन्तिम रूप दिये जाने तक, रूमानिया जनवरी १९६४–अप्रैल, १९६४ की अवधि में विभिन्न श्रेणी का १७ लाख टन लौह-अयस्क खरीदने को सहमत हो गया है । इस १७ लाख टन लौह-अयस्क के संभरण के लिये मिनरल्स और मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने रूमानिया के मेसर्ज़ मिनरल इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के साथ ठेका किया गया है । यह ठेका २२ दिसम्बर, १९६० को भारत और रूमानिया के बीच दीर्घ-कालीन अन्त-सरकारी करार के भीतर है, जिसके अन्तर्गत ३४,५०,००० टन लौह-अयस्क (जिसमें ८ लाख टन विक्रेता की इच्छा पर भी शामिल है) वर्ष १९६२–१९६६ के दौरान रूमानिया से पेट्रोलियम उत्पादों, छिद्रण उपकरण आदि का आयात करके निर्यात किया जायेगा । संभरित किये जाने वाले लौह अयस्क के मूल्य वर्ष-प्रति वर्ष निर्धारित किये जायेंगे ।

लौह-अयस्क के संभरण के लिये १९६४ संविदा को अन्तिम रूप देने के लिये शीघ्र ही भारत के मिनरल्स और मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल रूमानिया जायेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : रूमानिया और हमारे देश के बीच किन किन वस्तुओं का निर्यात और आयात किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : इस ठेके में लौह अयस्क का निर्यात करके खनिज-पदार्थों और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात ।

श्री दी० चं० शर्मा : हमारे देश द्वारा कितना लौह-अयस्क निर्यात किया जायेगा और कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में खनिज-पदार्थों का आयात किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : संविदा ३०–४० लाख टन लौह-अयस्क का निर्यात करके १५ करोड़ रुपये के मूल्य के खनिज-पदार्थों का आयात करने के लिये है ।

श्री तिरुमल राव : क्या इस करार में ऐसी कोई बात है कि कुछ अनुपात में लौह अयस्क भारतीय जहाजों में ले जाया जायेगा ? यदि हां, तो यह प्रतिशतता कितनी है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां । ५० प्रतिशत ।

श्री वें० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय का ध्यान मद्रास विधान परिषद् में डा० ए० एल० मुदलियार के वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि राज्य व्यापार निगम खनिज पदार्थों पर

२०० से ३०० प्रतिशत तक लाभ कमा रहा है और यदि हां, तो क्या इसमें उत्पादकों को भी कुछ मिलेगा ?

श्री मनुभाई शाह : स्पष्टतः यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती । परन्तु मैंने यह समाचार पढ़ा है । मैंने उन को उत्तर भेज दिया है और सार्वजनिक रूप से भी मैंने उत्तर दिया है जबकि डा० ए० एल० मुदलियार और मैं मद्रास में एक ही मंच पर थे । डा० मुदलियार में यह बिल्कुल गलत अनुमान लगाया है ।

Shri Braj Bihari Mehrotra : Do Govt. propose to import machinery for Refineries from Rumania instead of petroleum products against the export of iron-ore ?

Shri Manubhai Shah : Yes, Sir, we shall do that.

Shri Tulshidas Jadhav : What was the mode of trade with different countries prior to entering into agreements?

Shri Manubhai Shah : The trade continues. Machines, textiles, tobacco, raw wool, all thing are imported. But this was a special contract for iron-ore.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि रूमानिया से हम जिन उत्पादों का आयात करने जा रहे हैं, क्या वे विश्व-दरों से सस्ते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : ये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर हैं ; सस्ते या महंगे नहीं ।

Shri A. P. Sharma : The hon. Minister said that fifty per cent will be sent by Indian ships. Why not cent per cent ?

Shri Manubhai Shah : There is no harm in it. If we can Rumania had no objection to making it cent per cent.

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि कम से कम इस करार में तो ऐसी कोई शर्त नहीं है जैसीकि जापान के साथ किये गये एक करार में थी अर्थात् ७५ प्रतिशत लौह-अयस्क केवल डालमिया द्वारा भेजा जाये ?

श्री मनुभाई शाह : इस में कोई डालमिया नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसी कोई शर्त है ?

श्री मनुभाई शाह : पहले भी कभी ऐसी कोई शर्त नहीं थी और न कभी होगी ।

Shri Rameshwaranand: I want to know the quality of the iron ore that is going to be supplied to them. Could we not utilise it for any purpose? Whether that could not be utilised in India?

Shri Manubhai Shah : It is an old question.

Mr. Speaker : We keep with us according to our requirements. The surplus is exported.

श्री वारियर : क्या यह निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा और यदि हां, तो किस मूल्य पर और इन मूल्यों की अन्यों से तुलना की जा सकती है ?

श्री मनुभाई शाह : अब यह खनिज और धातु व्यापार निगम नामक निगम के जरिये किया जा रहा है जोकि विशेष खनिज अयस्कों के लिये राज्य-व्यापार निगम से पृथक है। सभी संविदेद अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर किये जाते हैं और ये मूल्य वर्ष के आरम्भ में वर्ष भर के लिये निश्चित कि जाते हैं।

बर्मा से बीज के आलुओं का आयात

*४८०. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम को चालू मौसम में बर्मा से कई लाख रुपये के मूल्य के बीज के आलुओं का आयात करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से बीज के आलू आयात करने की आवश्यकता पड़ी ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) वर्ष १९६३ में राज्य व्यापार निगम को बर्मा से १०.२ लाख रुपये मूल्य के बीज के आलुओं का आयात करने की अनुमति दी गई।

(ख) देश में बीज के आलुओं का उत्पादन बहुत थोड़ा होता है। वर्ष १९६३ में राज्य सरकारों की विशिष्ट प्रार्थना पर आयात किया गया।

श्री महेश्वर नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि देश के विभिन्न भागों में, विशेषत: हिमालय क्षेत्रों में, हमने जो बीज के आलू की नर्सरियां चलाई हैं, उनमें बढ़िया किस्म का आलू पैदा नहीं होता है और इसीलिए बीज के आलू के बर्मा से आयात करने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री मनुभाई शाह : बीज के आलुओं की हमारी मांग बढ़ रही है। बर्मा के बीज के आलुओं की किस्म बहुत ही बढ़िया है और हम केवल आलू की खेती के हित में थोड़े ही आयात की अनुमति दे रहे है।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने बताया कि इस समय हम मांग के अनुरूप संभरण नहीं कर पा रहे। क्या मैं जान सकता हूं कि देश में इसकी लगभग कितनी कमी है ?

श्री मनुभाई शाह : मोटे तौर पर यह अनुमान लगभग ३ करोड़ रुपये हैं। और यह आयात केवल १० लाख रुपये का है। लेकिन इन आंकड़ों के बारे में मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूं क्योंकि ये आंकड़े हमें विभिन्न अभिकरणों द्वारा दिये गये हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि वर्ष १९६३ में शिमला और दार्जिलिंग क्षेत्रों में बीज के आलू फालतू मात्रा में थे और उन्हें ढोया नहीं जा सका था, और यदि हां, तो उनको ढोने के लिये क्या प्रयत्न किया गया ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तविक मांग दार्जिलिंग के आलू उत्पादकों से प्राप्त हुई है। उन्होंने बार बार हमें परेशान किया और इस लिये हमें आयात करना पड़ रहा है।

श्री अ० प्र० जैन : बर्मा से बीज का आलू प्रति मन या प्रति क्विन्टल किस दर पर आयात किया गया ?

श्री मनुभाई शाह : इसकी श्रेणियां भिन्न हैं । इसकी नौ श्रेणियां हैं और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं गुप्त रूप से उन्हें मूल्य बता सकता हूं क्यों कि इसका बताना लोक-हित में नहीं है ।

श्री जोकीम आल्वा : स्पष्टत : इस सौदे में तीन करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है । ाप जानते हैं कि हमने बर्मा को २० करोड़ रुपये का ऋण दिया है ।

श्री मनुभाई शाह : उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या इस रकम के समायोजित किये जाने की कोई संभावना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री विश्वनाथ : क्या बीज के आलू आयात करने से पूर्व भारत में इसके लिये मौसम की उपयुक्तता का पता लगा लिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां । हमने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर ६ किस्म के बीज के आलुओं का आयात किया है । मैं यहां मूल्य नहीं बताना चाहता लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको मूल्य के बारे में बता सकता हूं ।

श्री त्यागी : जब मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय हैं तो इसमें गोपनीयता क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : कोई भी क्रेता या विक्रेता अनावश्यक रूप से मूल्य बताना नहीं चाहेगा क्योंकि इससे मंडी पर असर पड़ता है ?

Shri Bibhuti Mishra : Which were the area for which these seed potatoes were required ? Were these imported seed potatoes better than those of Darjeeling and Himachal Pradesh ?

Shri Manubhai Shah : It was Darjeeling growers who pressed for the import of seed potatoes.

Shri Bibhuti Mishra : What were the areas for which these seed potatoes were requried ?

श्री मनुभाई शाह : पश्चिम बंगाल एपेक्स आलू उत्पादक सहकारी समिति, मैसूर राज्य सहकारी समिति, बंगलौर, बिहार राज्य आलू उत्पादक और विपणन सहकारी समिति, पंजाब राज्य सहकारी संभरण और विपणन फेडरेशन और कृषि निदेशक, शिलांग, आसाम ।

Shri Yashpal Singh : Had Govt. ascertained, prior to the import of these seed potatoes that in Uttar Pradesh there was less yield with these seed potatoes ?

Shri Manubhai Shah : It is imported after ascertaining all that when the yield is ten times or twenty times them only it is imported.

Shri Rameshwaranand : Was prior to the import of these seed potatoes it was ascertained that such seed potatoes were not produced anywhere in the country and was the suitability of Indian soil for these seed potatoes established ?

श्री बी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने बीज के आलू की ९ किस्में बताईं। हमारे देश में इनमें से कितनी किस्में पैदा होती हैं और इनकी बर्मा से आयातित किस्मों से क्या तुलना है ?

श्री मनुभाई शाह : यह बड़ा तकनीकी प्रश्न है। लेकिन किस्में वे हैं जो यहां पर खरीदार चाहते थे।

Shri Rameshwaranand : My question was not answered. I wanted to ask whether the seed potatos, which were imported from Burma....

Mr. Speaker : The question ought to be asked by him has already been answered.

Shri Rameshwaranand : My question was not answered. I asked whether this seed potato, which is imported from Burma, Suits our soil.

Mr Speaker : It has already been answered.

Shri Braj Bihari Mehrotra : Is it proposed to help the growers in preserving these seed potatoes in cold storage so that these may not have to be is imported every year ?

Shri Manubhai Shah : Yes, Sir, we shall do that.

कोयले का उत्पादन

+

*४८१६ { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मांग के अनुसार कोयले के उत्पादन का सन्तुलन करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) और (ख) जी, हां। तीसरी योजना के लिये पहले कोयले के उत्पादन का लक्ष्य कोयला उपभोक्ताओं के पुरोनिधान प्राधिकारियों द्वारा बताये गये मांग के प्राक्कलनों को ध्यान में रख कर ९७० लाख टन निर्धारित किया गया था। पिछले वर्ष योजना के मध्य-कालीन मूल्यांकन के दौरान किये गये पुनरविलोकन से पता चला कि तीसरी योजना के अन्त में मांग के पुनरीक्षित प्राक्कलन लगभग ९०० लाख टन होंगे और उत्पादन भी इतना ही होगा। तथापि, हाल की बातों से पता चला है कि यह मांग इससे भी कम हो सकती है और फलस्वरूप उद्योग उत्पादन को भी तदनुसार समायोजित कर लेगा। चौथी योजना में विभिन्न कोयला क्षेत्रों से उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करते समय कोयले के उत्पादन को मांग से संतुलित करने को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री बी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने बतलाया कि उद्योग अपनी मांग को कम कर सकता है। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय ने यह कैसे समझा कि उद्योग को उतने कोयले की आवश्यकता नहीं होगी जितनी कि तीसरी योजना के शुरू में थी ?

श्री तिम्मय्या : मैं यह नहीं कहा कि केवल उद्योगगों ने अपनी मांग कम की है । मैंने बताया कि उद्योग समेत पुरोनिधान प्राधिकारियों ने कोयले की अपनी मांग में कभी की और इसलिए उत्पादन में भी कमी की जानी है ।

श्री दी० चं० शर्मा : कोयले की मांग कम क्यों की गयी है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह मांग को कम करने का प्रश्न नहीं है बल्कि मांग का मूल्यांकन करने का प्रश्न है । जब हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में मांग का मूल्यांकन किया तो हमने देखा कि हमें तीसरी योजना के अन्त तक ९७० लाख टन कोयले की आवश्यकता होगी । अब जब फिर मूल्यांकन किया गया तो पता लगा कि यह अनुमान अधिक लगाया गया था । और इसलिये मांग को कम किया गया है ।

श्री महेश्वर नायक : क्या धातुकर्मिक कोयले की मांग और उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा कर दिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां, धातुकर्मिक कोयले का भी पर्याप्त उत्पादन होता है ।

श्री भागवत झा आजाद: तीसरी योजना के आरम्भ होने के बाद से कोयले के लक्ष्य में तीन बार परिवर्तन किया जा चुका है । अब यह चौथी बार पुनरीक्षण क्यों किया जा रहा है जब कि हम देखते हैं कि दिन ब-दिन कोयले के मूल्य बढ़ रहे हैं ? मंत्री महोदय इन दो बातों के बीच कैसे समन्वय करेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्पादन-लागत एक भिन्न बात है और मांग भिन्न बात है । अब हम देखते हैं कि मांग कम है, विशेषत: कुछ उद्योगों में जिन्होंने पहले अपनी मांग कुछ बतायी थी अब यह मांग कम हो गयी है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: क्या यह सच है कि उपभोक्ता अपनी मांग बढ़ाने में हिचक रहे हैं, कारण यह है कि कोयले के संभरण में कोई सुव्यवस्था करण नहीं है क्योंकि दक्षिण से कोयला उत्तर को जाता है और उत्तर से दक्षिण को जाता है जिसका परिणाम यह निकलता है कि उनको समय पर कोयला नही मिलता ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह ठीक नहीं है । वास्तव में परिवहन के तरीके को ध्यान में रख कर इसका सुव्यवस्थाकरण किया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : जब कोयले के मूल्य में वृद्धि की गयी तो यह सुझाव दिया गया कि कोयले के मूल्य में दस वृद्धि का लाभ उठा कर कोयला खान मालिक श्रमिकों को भी कोई लाभ पहुंचायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने मामले के इस पहलू पर भी विचार कर लिया है और क्या कोयले के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रमिकों को कोई सहायता दी गयी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, मूल्यों में परिवर्तन करते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सहायता दी गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । श्री विभूति मिश्र ।

श्री विभूति मिश्र : मंत्री महोदय को कृषि क्षेत्र से कुल कितनी मांग प्राप्त हुई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कृषि क्षेत्र में कोयले की मांग के बारे में मुझे पता नहीं है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : देश में विभिन्न डिपुओं में बड़ी मात्रा में कोयला फालतू पड़े रहने को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का यह इरादा है कि विभिन्न राज्यों का कोटा बढ़ा दिया जाय ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। अब जितना भी कोटा मांगा जाता है, वह बिना किसी प्रतिबन्ध के दिया जाता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल उत्पादन में से कितनी मात्रा निर्यात के लिये उपलब्ध होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : निर्यात के बारे में आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : गैर-सरकारी कोयला खानों पर कितनी मांग की गयी और सरकारी कोयला खानों पर कितनी मांग की गयी और क्या गैर-सरकारी और सरकारी कोयला खानों ने मांग से अधिक उत्पादन किया है या कुछ मांग अभी पूरी की जानी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सरकारी क्षेत्र में लगभग ३०० लाख टन के उत्पादन की आशा थी और बाकी गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन किया जाता था। सरकारी क्षेत्र में लगभग ९० लाख टन का उत्पादन हुआ और बाकी उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में हुआ है।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that the private sector so far is running in surplus and the public sector is running in deficit ? If so, what action having taken by Government in this regard ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब दोनों में सरप्लस है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि खपत के किन विशिष्ट क्षेत्रों में यह कम हुआ है, इसके क्या कारण हैं और भविष्य में ठीक मूल्यांकन करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस्पात संयंत्रों में इसमें ४३.७ लाख टन, रेलवे में १३.४ लाख टन, कपड़ा मिलों में १३.९ लाख टन, कागज मिलों में ४.४ लाख टन की कमी हुई है और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटी मोटी बातें भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या ४८२ श्री प्र० चं० बरुआ। अनुपस्थित। प्रश्न काल और प्रश्न सूची दोनों ही समाप्त हैं।

यदि प्रश्न और उत्तर दोनों छोटे और संक्षिप्त हैं, तो निस्संदेह हम अधिक प्रश्न ले सकते हैं। और मैं माननीय मित्र, सम्मानित प्रोफेसर, को पुनः यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि "श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं।" उन्हें सीधे प्रश्न पूछना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारी प्लेट तथा पोत परियोजना और भारी ढांचा परियोजना

*४६४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी प्लेट तथा पोत परियोजना और भारी ढांचा परियोजना को विदेशी मुद्रा की कमी के कारण धक्का लगा है ;

(ख) क्या इंग्लैंड से उपलब्ध ऋण की सहायता से इन्हें जारी रखना संभव नहीं था ;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा के लिये किसी अन्य स्रोत की खोज की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो वे स्रोत कौन से हैं तथा क्या वहां से विदेशी मुद्रा लेना संभव हो पाया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख), जी हां ।

(ग) और (घ) हम इस समय आस्ट्रिया के मैसर्ज वोयस्ट के सहयोग से भारी ढांचे का संयंत्र स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं ।

टायरों के मूल्य

*४६५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टायर निर्माताओं ने सब किस्म के टायरों के मूल्य बढ़ा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) मूल्यों में इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) जी हां । कच्चे माल की लागत, मजदूरी आदि में वृद्धि हो जाने के कारण निर्माताओं ने २ जनवरी, १९६४ से टायरों के मूल्य ६ प्रतिशत बढ़ा दिये हैं ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

*४६७. **श्री बे० जी० नायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगमों को ये निर्देश जारी किये हैं कि वह ३ करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों के लिये प्रार्थनापत्र स्वीकार न करें;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पटसन तथा सूती चपड़ा उद्योगों को हाल में हानि उठानी पड़ी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) तीसरी योजनावधि में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लिये वित्तीय आवंटन से सम्बन्धित सामान्य प्रश्न की अग्रेतर जांच होने तक अगस्त, १९६२ में निगम को हिदायतें जारी की गयी थीं कि वह १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष में ३ करोड़ रुपये से अधिक के नये ऋणों का वचन न दे । इस बीच प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) के १२२वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय चुने हुए उद्योगों को ऋण देने के क्षेत्र में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के भावी कार्यकरण के प्रश्न पर बड़े विस्तार से सोचा गया था और फरवरी, १९६३ में निगम को नये ऋणों के लिये प्रार्थना पत्र स्वीकार न करने का निर्देश दिया गया था और यह भी कहा गया था कि ऋण के लिये उन लम्बित प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही न की जाय जिन पर कि कार्यवाही अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही थी । रेलवे उन्हीं मामलों में जो विस्तृत सर्वेक्षणों के पूरा होने के बाद अथवा ऋण परामर्शदात्री समितियों के सिफारिशों के बाद अग्रिम अवस्था में पहुंच गये हैं उन के गुण दोषों को देखते हुए कार्यवाही की जाती है ।

(ग) उद्योगों को कोई विशेष धक्का नहीं लगा है ।

कपड़े का उत्पादन

*४७१. **श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिल के बने तथा हथकरघों पर बने कपड़े का उत्पादन (अलग अलग आंकड़े) इस समय कितना है तथा प्रति व्यक्ति खपत कितनी है; और

(ख) देश के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) मिलों तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र द्वारा, जिस में हथकरघे और विद्युत् करघे सम्मिलित हैं, १९६३ के लिये सूती कपड़े का उत्पादन निम्नलिखित था :

मिलें . . .	४४२३० लाख मीटर
विकेन्द्रीकृत क्षेत्र (हथकरघे तथा विद्युत् करघे)	२८७६० लाख मीटर
	७२९९० लाख मीटर

(हथकरघों के लिये अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।)

निर्यात के लिये सूती कपड़े की मात्रा को छोड़ कर शुद्ध प्रति व्यक्ति उपलब्धता १४.६ मीटर थी ।

(ख) आत्म निर्भरता को प्रति व्यक्ति उपलब्धता से सम्बद्ध रखता होता है। कुल मिला कर यह कहना ठीक होगा कि देश आत्मनिर्भर है। इस समय प्रति व्यक्ति उपलब्धता १४.६४ मीटर है और तीसरी योजना के अन्त तक इस के १५.९ मीटर हो जाने की आशा है ।

कोयला उद्योग

*४७२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला उद्योग से मूल्य परिवर्तन तथा अन्य सुविधायें, जैसे उच्च अवक्षयण छूट तथा उदारता से अर्थ-सहायता देना आदि के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). कोयला उद्योग से कोयले के मूल्य परिवर्तन तथा अन्य सुविधाओं के लिये समय समय पर जो प्रार्थनायें आती हैं गुण दोषी के आधार पर उन पर विचार किया जाता है और न्याय संगत होने पर मूल्य में उचित वृद्धि कर दी जाती है या रियायतें दी जाती हैं। मूल्यों में परिवर्तन के लिये उनमें नवीनतम अनुरोध पर श्री स्वामीनाथन् की अध्यक्षता में बनाये गये एक अध्ययन दल ने विचार किया था। दल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने सोचा तथा मूल्यों में कुछ वृद्धि की घोषणा की। ४ मार्च, १९६४ को मैं इस विषय पर एक विवरण पहले ही सदन में प्रस्तुत कर चुका हूं ।

मोटरकारों की बिक्री

*४७६. श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :
श्री पोट्टेकाट :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोग मोटरकार (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, १९५९ से बचने के लिये धारण वेधक कर के मोटर कार बेच देते हैं;

(ख) नियंत्रण आदेश जारी किये जाने के बाद से ऐसे कितने बंधक हुए हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनिरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ?

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिन्दुस्तान स्टील लि० का सीमेंट का कारखाना

*४७९. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० इस्पात संयंत्रों से निकलने वाले धातुमल (स्लैग) का प्रयोग करने के लिये एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना को पूरा करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) से (ग) सरकार को हिन्दुस्तान स्टील लि० से भिलाई में प्रति वर्ष ६००,००० मीट्रिक टन पोर्टलैंड धमन-भट्टी धातुमल सीमेंट तैयार करने के हेतु एक औद्योगिक लाइसेन्स देने के लिये प्रार्थनापत्र मिला है । वह विचाराधीन है ।

रद्दी इस्पात (स्क्रैप स्टील) के मूल्य

*४८२. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री २२ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रद्दी इस्पात (स्क्रैप स्टील) का विनियंत्रण किये जाने के बाद इस के मूल्य नियंत्रित मूल्य की तुलना में अधिक से अधिक कितने बढ़े हैं ;

(ख) रद्दी इस्पात की उपलब्धता बढ़ जाने से मूल्य कितने गिर गये हैं ?

(ग) क्या सरकार को रद्दी इस्पात के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण पुनः लागू करने के बारे में प्रयोक्ता उद्योगों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) विनियंत्रण के बाद रद्दी इस्पात के मूल्य बढ़े हैं। अलग अलग किस्म के रद्दी इस्पात के मूल्य में अलग अलग वृद्धि हुई है तथा बाजार भावों में समय समय पर उतार-चढ़ाव आता रहता है ।

(ख) विनियंत्रण के परिणामस्वरूप उपलब्धता में हुई वद्धि के निश्चित आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

(ग) और (घ). यद्यपि सरकार को रद्दी इस्पात के वितरण तथा मूल्य पर पुनः नियंत्रण लागू करने के बारे में ऐसे इस्पात का प्रयोग करने वाले उद्योगों से अभ्यावेदन मिले हैं, परन्तु ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि रद्दी इस्पात से बनने वाले उत्पादों के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं है और निर्माता बाजार की स्थिति को देखते हुए उन के मूल्यों में फेरबदल कर सकते हैं।

चाय क्षेत्रों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

६४०. श्री हेम राज : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) उन चाय उत्पादक क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण अब तक पूरा हो गया है; और

(ख) ऐसे क्षेत्र के नाम क्या हैं जहां चालू वर्ष में यह सर्वेक्षण किया जाना है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) उत्तर-पूर्व भारत में त्रिपुरा, दार्जिलिंग पहाड़ियां तथा कच्छार और दक्षिण भारत में नीलगिरि, अन्नमलाई तथा काननदेवन ।

(ख) १९६४–६५ का कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

समितियां तथा उप-समितियां

६४१. श्रीमती लक्ष्मी बाई : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय में कुल कितनी समितियां तथा उप-समितियां काम कर रही हैं; और

(ख) इन समितियों/उप-समितियों में कुल कितने सदस्य हैं ।

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

आंध्र प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

६४२. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६३–६४ में आन्ध्र प्रदेश की भूतत्वीय स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई निष्कर्ष निकले हों तो उन का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) भूतत्वीय मानचित्रण करने के अतिरिक्त एस्बेस्टास तांबा, सीसा, चूना तथा कोयला होने की जांच की गई थी। जांच अभी तक चल रही है और कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले गये हैं ।

आंध्र प्रदेश के लिए लोहा और इस्पात

९४३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को १९६३–६४ में कितना लोहा और इस्पात दिया गया है; और

(ख) १९६४–६५ में आन्ध्र प्रदेश को लोहे तथा इस्पात की कितनी मात्रा दी जायेगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस्पात ।

१९६३-६४ में आवंटन १६ से २० गेज की शीत वेल्लित काली सादा चादरों तक सीमित रखा गया था । इस अवधि में आन्ध्र प्रदेश को ९६२४ मीट्रिक टन का आवंटन किया गया था उत्पादकों की ओर बहुत बकाया होने के कारण जी० सी०/जी० पी० चादरों का कोई आवंटन नहीं किया गया था । इन श्रेणियों के अतिरिक्त कोई आवंटन नहीं किया गया ।

कच्चा लोहा

राज्य सूची में (छोटे पैमाने के) ढ़लाई घरों को ३७२३ मीट्रिक टनों का आवंटन किया गया था ।

(ख) १९६४–६५ के लिये अभी आवंटन नहीं किया गया है ।

कोठागुडियम में कोयले का उत्पादन

९४४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडियम में कुल कितने कोयला का उत्पादन हुआ तथा उस की लागत क्या है; और

(ख) कोठागुडियम में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) १९६३–६४ में (जनवरी, १९६४ तक) २.८३ करोड़ रु० की लागत का ९ लाख ९० हजार मीट्रिक टन कोयला पैदा किया गया था । फरवरी और मार्च, १९६४ में २ लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होने का अनुमान है जिस की लागत ०.४८ करोड़ रुपये है ।

(ख) कोठागुडियम में उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गये उपायों में फालतू रेत एकत्रित करने के प्रबन्ध, भूमिगत खानों का अधिक यंत्रीकरण तथा धनीकरण, नई खानें खोलना तथा उत्पादन और हवा के आने जाने की व्यवस्था को सुधारने के लिये मध्यम शफ्ट बनाना सम्मिलित है। भूतत्वीय स्थिति पर निर्भर करते हुए चौथी योजनावधि के अन्त तक कोठागुडियम में उत्पादन के लगभग १६ लाख से १८ लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाये जाने की संभावना है ।

मोटर गाड़ी उद्योग के लिए इस्पात

१४५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोटर गाड़ी उद्योग के लिये अपेक्षित इस्पात देश में उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यक्रम है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) मोटर गाड़ी द्वारा अपेक्षित सभी तरह का इस्पात इस समय देश में उपलब्ध नहीं है। विशेष औजार तथा मिश्रित इस्पातों की अधिकतर आवश्यकता आयात की जा रही है। तथापि प्लेटों, चादरों, सुलाखों, तारों, पट्टियों आदि जैसे हल्के इपस्पात की अधिकतर आवश्यकतायें देशी उत्पादन से ही पूरी की जा रही हैं ।

(ख) औजार मिश्रित तथा विशेष इस्पातों का उत्पादन जल्दी आरम्भ करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । सम्भव है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहले उत्पादन आरम्भ हो जाएगा । चौथी पंचवर्षीय ोजना बनाते समय मोटरगाड़ी उद्योग की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

दिल्ली के कोयला व्यापारी

१४६. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कोयला व्यापारियों ने इस कारण दिल्ली सहकारी समिति के गोदाम से कोयला उठाने से इन्कार कर दिया है कि कोयला घटिया किस्म का है ;

(ख) क्या इसकी जांच का कोई आदेश दिया गया है ; और

(ग) समिति के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि०सुब्रह्मण्यम) : (क) दिसम्बर, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर लि०, दिल्ली ने मधुकोष पक्के कोक के ३२ वैगन प्त किये थे। ये वैगन पक्के कोक के प्रमाणित व्यापारियों को आवंटित कर दिये गये थे। केवल एक व्यापारी ने मधुकोष पक्का कोक लेना स्वीकार किया था और शेष के ५१ वैगनों को यह कह कर लेने से इन्कार कर दिया गया कि कोक घटिया किस्म का था ।

(ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन से शिकायत आने पर कोयला बोर्ड द्वारा नियुक्त एक ईंधन निरीक्षक ने रेलवे साइडिंग से कोक का नमूना लिया । नमूने के विश्लेषण से पता चला कि उक्त पक्के कोक में दूसरी श्रेणी के मधुकोष कोक से भी अधिक राख की मात्रा है। दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि वह सहकारी समिति को यह पक्का कोक कच्चे कोक के मूल्य पर बेचने का निदेश दे ।

छतों के लिए एस्बेस्टास चादरें

*१४७. श्री बारियर :
श्री दाजी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या उद्योग मंत्री २० दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार को ऐसे निर्माताओं से अभ्यावेदन मिले हैं जो छतों के लिये एस्बेस्टास की चादरें बनाने के लिये नये कारखाने खोलने या वर्तमान कारखानों का विस्तार करने के लिये तैयार हैं ; और

(ख) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र में कोई ऐसा कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

सैलम में इस्पात का निर्माण

*१४८. श्री बारियर :
श्री दाजी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री टे० सुब्रह्मण्यम :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस्तूर एण्ड कम्पनी ने सैलम में प्रस्तावित इस्पात निर्माण में लिग्नाइट का कार्बनीकरण किये बिना कच्चे लिग्नाइट के प्रयोग के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख). सलाहकार इंजीनियरों मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने हाल ही में सरकार को सूचित किया था कि अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी में किये गये परीक्षणों से पता चला है कि नेवेली-सैलम इस्पात परियोजना में लोहा बनाने के लिये कच्चे लिग्नाइट को उपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि नार्वे में हुए परीक्षणों से पता चला है कि उपचायक के रूप में केवल कार्बनीकृत जला हुआ लिग्नाइट ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सलाहकार इंजीनियर इस विषय का अग्रेतर अध्ययन तथा जांच कर रहे हैं ।

उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों में सड़कें

१४९. श्री बो महन्ती : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिये उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों में सड़कों के सुधार की कोई योजना आयोग द्वारा स्वीकार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लघु उद्योग

९५०. श्री कर्णी सिंहजी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन के दिल्ली राज्य बोर्ड ने अभ्यावेदन भेजा है कि लघु उद्योगों को कच्चे माल के भारी अभाव का सामना करना पड़ रहा है तथा बहुत से मामलों में लाइसेंस देने में विलम्ब हो जाता है जिससे उत्पादन की योजनायें अस्तव्यस्त हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). लघु उद्योगों को कच्चे माल का भारी अभाव होने तथा लाइसेंसों के जारी करने में विलम्ब होने के बारे में अखिल भारतीय निर्माता संगठन के दिल्ली राज्य बोर्ड से कोई विशिष्ट अभ्यावेदन नहीं मिला है । ३० अगस्त, १९६३ को हुई बोर्ड की २०वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उद्योग मंत्री के प्रति अपने स्वागत भाषण में अखिल भारतीय निर्माता संगठन दिल्ली, राज्य बोर्ड, के प्रधान ने आयात लाइसेंसों को लेने में निर्माताओं को होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया था जिनमें लाइसेंसों को जारी करने में विलम्ब होना तथा एक न एक कारण से लाइसेंसों की संख्या कम करना सम्मिलित हैं । यहां यह स्पष्ट कर दिया जाए कि आयात लाइसेंस सामान्यतः यथासंभव शीघ्रता से जारी किये जाते हैं और विलम्ब केवल उन्हीं मामल में होता है जहां प्रार्थना पत्र हर तरह से पूरे नहीं होते। जहां तक जारी किये जाने वाले लाइसेंसों में कमी करने का संबंध है, कारण यह है कि विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए सभी मामलों में अत्यावश्यकता प्रमाणपत्रों में सुझायी गई पूरी मात्रा में लाइसेंस देना संभव नहीं है ।

भारी यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग

९५१. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योगों को ७,००० टन विद्युत् चालित मोटरों तथा ६,००० टन बालबेयरिंगस की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). विद्युत् चालित मोटरें :

भारी यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योगों की मांग को अलग से नहीं आंका गया है। सभी उद्योगों के कुल मांग के तीसरी योजना के अन्त तक २५ से ३० लाख एच० पी० होने का अनुमान लगाया

गया है। उच्चतर शक्ति वाली मोटरों का संभरण हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड के एक्कों द्वारा किया जायेगा तथा कम शक्ति वाली मोटरें गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा दी जायेंगी जिसमें लगभग १९ लाख एच० पी० की कुल क्षमता के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ।

बालबेयरिंग्स :

अकेले बाल बेयरिंग्स अथवा अकेले भारी यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योगों की मांग का अलग से कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है। अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक सभी उद्योगों में बाल तथा कोलर बेयरिंग्स की कुल मांग २ करोड़ प्रतिवर्ष होगी। इस मांग को पूरा करने के हेतु पर्याप्त क्षमता के लिये लाइसेंस देने के लिये कदम उठाये गये हैं। तथापि १९६५-६६ में वास्तविक उत्पादन की मांग से कम रहने की संभावना है। दोनों में जो अन्तर रहेगा उसे आयात द्वारा पूरा करना पड़ेगा ।

बेरियम रसायन

९५२. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरियम कैमिकल्स लि०, कोठागुडियम, आन्ध्र प्रदेश, ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) अब तक कितनी मात्रा में विभिन्न बेरियम रसायनों का उत्पादन किया गया है; और

(ग) क्या सरकार को कारखाने के प्रसार के लिये कोई आवेदन पत्र मिला है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं । ऐसा समझा जाता है कि अभी उत्पादन कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रयोग ही आरम्भ हुये हैं ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

विशाखापटनम में जस्ता प्रद्रावक संयंत्र

९५३. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विशाखापटनम में सरकारी क्षेत्र में जस्ता प्रद्रावक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। तथापि, संयंत्र किस स्थान पर बनाया जायेगा इसका अभी कोई पक्का निश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) अभी ब्योरा तैयार नहीं किया गया है ।

केन्द्रीय दस्तकारी विभाग केन्द्र, बंगलौर

९५४. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान का एक विख्यात मृच्छिल्प कलाकार केन्द्रीय दस्तकारी विभाग केन्द्र, बंगलौर को सलाह देने के लिए भारत आया था या आने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और वह संभवतः किस प्रकार की सहायता देगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टैपिओका और मील टैपिओका चिप्स का निर्यात

९५५. श्री अ० क० गोपालन : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले ो वर्षों में टैपिओका मील और टैपिओका चिप्स का निर्यात काफी घट गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाईशाह):(क) से (ग). टैपिओका मील और टैपिओका चिप्स की कीमत देश में बहुत ऊंची होने और इन्डोनेशिया तथा थाइलैंड से प्रतियोगिता के कारण उनका निर्यात कम हो गया है । राज्य व्यापार निगम के जरिये मैनी मील्स और चिप्स का निर्यात बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाये गये हैं ।

समुद्रतलों में खनिज निक्षेप

९५६. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर सहित समुद्र के तलों में निकेल, तांबा कोबाल्ट, फासफेट, मैंगनीज और अन्य कीमती वस्तुओं के काफी निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :(क) जी नहीं । हिन्द महासागर सहित अन्य समुद्रतलों में केवल नोड्यूल्स के थोड़े निक्षेप हैं जिनमें मैंगनीज, फास्फेट, तांबा, कोबाल्ट और निकेल होने का पता चला है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान में भाग लेते समय भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग हिन्द महासागर के समुद्रतल के खनिजों का विस्तृत अध्ययन करने वाला है ।

WASTAGE OF IRON THROUGH RUST

957. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that iron worth Rupees fifty thousand millions is wasted through rust every year; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Steel rusts due to natural causes. No statistics are

maintained on the wastage due to rust. All possible care is taken to minimise the effect of rusting by painting or by the use of Galvanised or tinned steel sheets.

हलके इंजीनियरीग माल का निर्माण

२५८. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र ।
डा० रानेन सेन ।

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हलके इंजीनियरी माल, देशी पुर्जे या पूरी पूरी मशीनें बनाने की दिशा में कम से कम ९० प्रतिशत आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गयी है;

(ख) मोटरगाड़ी और बाइसिकिल उद्योगों और इंजीनियरी उद्योग की (भारी इंजीनियरी को छोड़कर) अन्य शाखाओं में देशी उत्पादन कितना है; और

(ग) जो इंजीनियरी माल पहले विदेशों से मंगाया जाता था उसकी जगह देश में निर्मित वस्तुओं से १९५२–५३ और १९५३–५४ की तुलना में १९६२–६३ और १९६३–६४ में कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—२४६२/६४ ।]

इंजीनियरी माल तैयार करने के लिए लाइसेंस

२५९. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन ।

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में इंजीनियरी माल तैयार करने के लिये पिछले दस वर्षों में कितने लाइसेंस जारी किये गये; और

(ख) उद्योग की प्रत्येक शाखा में विदेशी सहयोग कितना है ?

उद्योग मंत्री (श्री काननगो) । (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन समय-समय जारी किये गये सभी लाइसेंसों का जिनमें इंजीनियरी माल के निर्माण के लिए दिये गये लाइसेंस भी शामिल हैं, विवरण निम्नलिखित प्रकाशनों में प्रकाशित किये गये हैं :

(१) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन (३१ दिसम्बर, १९५७ को) केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों की सूची;

(२) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन (वर्ष १९५८ के दौरान) केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों की सूची;

(३) साप्ताहिक "बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्स्पोर्ट लाइसेंसेज"; और

(४) मासिक 'उद्योग-व्यापार पत्रिका'।

इन प्रकाशनों की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) किसी विशिष्ट प्रायोजनायें विदेशी सहयोग के बारे में जानकारी तुरन्त बताई जा सकती है लेकिन इंजीनियरी के क्षेत्र में सभी प्रायोजनाओं के लिए आवश्यक सामान्य जानकारी इकट्ठी करने में काफी समय और मेहनत लगेगी। यह जानकारी किसी भी संकलन में तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, आंध्र प्रदेश

९६०. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने अगले वित्त वर्ष में राज्य में ग्रामोद्योगों के विकास की कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) जी, हां।

(क) राज्य बोर्ड ने १९६४–६५ में खादी के विकास के लिए ३२.६३ लाख रुपये और ग्रामोद्योग के लिए १७६.२२ लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है। उद्योग-वार ब्यौरा विवरण १ में बताया गया है।

(ग) नवम्बर, १९६३ में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त चर्चाओं के बाद आयोग ने अस्थायी तौर पर खादी के लिए ३२.६३ लाख रुपया और ग्रामोद्योग के लिए १३१.९३ लाख रुपया दिया है। उद्योगवार ब्यौरा विवरण २ में बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० २४६३—६४]**

पंजाब में लघु और कुटीर उद्योग

९६१. श्री बलजीत सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४–६५ में पंजाब में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितनी रक़म खर्च की जाने वाली है; और

(ग) योजनाओं का स्वरूप क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) १९६४–६५ के लिए प्रस्तावित परिव्यय २१२.६७ लाख रुपया है।

(ग) (१) हथकरघे

(२) लघु उद्योग

(३) औद्योगिक बस्तियां

(४) दस्तकारी

(५) रेशम के कीड़े पालना; और

(६) खादी और ग्रामोद्योग।

पटसन का निर्यात

९६२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिमाण और विदेशी मुद्रा की आय के रूप में क्रमश: १९६१, १९६२ और १९६३ में पटसन का कितना-कितना निर्यात हुआ;

(ख) क्या किसी देश को निर्यात घट गया है और यदि हां, तो किस हद तक; और

(ग) पटसन के निर्यात को प्रोत्साहन देने और पाकिस्तान के मुकाबले में उसे अधिक प्रतियोगितात्मक बनाने के लिए पिछले साल क्या कदम उठाये गये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४६४/६४]

जम्मू और काश्मीर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

९६३. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और कश्मीर में इस समय सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से और कितने उद्योगों को केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता दे रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

माल का आयात

९६४. **श्री शं० ना० चतुर्वेदी :** क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से कच्चा माल या निर्मित माल के आयात के लिए आर्डर दिये जाने से पहले देश में उनके उत्पादन की संभावना के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परषद् से परामर्श किया जाता है; और

(ख) यदि हां तो किस प्रकार ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् केवल वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थाओं की ओर से आयात लाइसेंस के आवेदन पत्रों का समर्थन करती है। ऐसे आवेदन पत्रों को आगे बढ़ाने से पहले परिषद् अन्य ऐसे ही समर्थन करने वाले अधिकारियों की तरह उन वस्तुओं की देश में उपलब्धि के सम्बन्ध में तकनीकी विकास महानिदेशक से आदेश प्राप्त कर लेती है।

Export of Steel

965. Shri E. Madhusudan Rao : Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that Government are exporting steel to other countries;

(*b*) if so, the names of those countries;

(*c*) the amount of foreign exchange being earned thereby;

(*d*) the quantity of steel exported during the last year ; and

(*e*) the amount of foreign exchange earned thereby?

The Minister of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri C. Subramaniam)

(*a*) Yes, Sir.

(*b*) Exports to following countries were made in/1963-64 (upto November, 1963) :

1. Afghanistan
2. Aden
3. Australia
4. Austria
5. Bahrein
6. Burma
7. Cambodia
8. Ceylon
9. Cyprus
10. France
11. Ghana
12. Hongkong
13. Indonesia
14. Iran
15. Iraq
16. Japan
17. Kenya
18. Kuwait
19. Malaya Federation
20. Mauritius
21. Muscat
22. Nepal
23. New Zealand
24. Nigeria
25. Pakistan
26. Qtrrlomn (Qatar & Trucial Oman)
27. Saudi Arab
28. Singapore
29. Sudan
30. Sweden
31. Tanganyka
32. Thailand
33. Trinidad
34. U.A.R.
35. Uganda
36. U.S.A.
37. Vietnam. S.
38. Zanzibar.

(*c*) Rs. 1·18 Crores in 1963-64 (upto November, 1963).

(*d*) 33,000 tonnes appoximately in 1962-63.

(*e*) Rs. 1·34 Crores in 1962-63.

Tractors

**966. { Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Steel, mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that India requires 4200 tractors ; and

(*b*) If so, the names of the countries from which the tractors would be imported?

The Minister of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri C. Subramaniam): (*a*) The estimated demand for tractors by the end of the Third Plan period is aobut 10,000 Nos. per annum.

(*b*) During 1964, tractors are proposed to be imported from U.S.S.R., Czechoslovakia and Poland.

टाट[1] का निर्यात

९६७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाट के निर्यात के सम्बन्ध में भारतीय पटसन मिलें पाकिस्तानी मिलों की तुलना में प्रतिकूल स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

रासायनिक पदार्थों का ईरान को निर्यात

९६८. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में हमारे रासायनिक पदार्थों की अच्छी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इन रासायनिक पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) (१) ईरान के साथ भारत का एक व्यापारिक करार हुआ था जिसमें ईरान को निर्यात के लिए 'रासायनिक पदार्थ' एक मद था ।

(२) भारतीय निर्माताओं/निर्यातकों की जानकारी के लिए रासायनिक पदार्थ और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें उन रासायनिक पदार्थों और संबद्ध उत्पादों का ब्यौरा दिया गया है जिनकी ईरान में मांग है ।

(३) विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अधीन रासायनिक पदार्थों के निर्यात को लाभ मिल सकता है ।

(४) तेहरान में एक प्रदर्शन कक्ष के जरिये, रासायनिक पदार्थ सहित भारतीय माल का प्रदर्शन किया जाता है ।

[1]Jute sackings.

मिस्र को ब्लेडों और टार्चों का निर्यात

९६९. श्री राम सहाय पांडेय : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिस्र में हमारे ब्लेडों और टार्चों की बहुत अधिक मांग है; और

(ख) यदि हां, तो उनका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). पिछले दो वर्षों में ये दो चीजें संयुक्त अरब गणराज्य के बाजार को निर्यात नहीं की गयी हैं यद्यपि दूसरे देशों को निर्यात की गयी हैं। फिर भी भारतीय फर्में संयुक्त अरब गणराज्य को भी अब निर्यात करने का प्रयत्न नहीं कर रही हैं। व्यापारियों को इन वस्तुओं के निर्यात के लिए संयुक्त अरब गणराज्य में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में उन्हें बराबर सूचना दी जाती है।

खली और तेलों का निर्यात

९७०. श्री राम सहाय पांडेय : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाजों में जगह की कमी के कारण खली और तेलों के आयात पर असर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात की गति बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तेल और खली के निर्यात के लिये जहाजों में जगह प्राप्त करने की कठिनाइयों की ओर अभी हाल में सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) निर्यात की गति बनाये रखने के लिए जहाजों में अतिरिक्त आवश्यक स्थान की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है।

पश्चिमी जर्मनी को चाय का निर्यात

९७१. श्री राम सहाय पांडेय : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मन सरकार ने खुली भारतीय चाय पर सीमाशुल्क समाप्त कर दिया है और चाय के बंडलों पर दरें ५ प्रतिशत घटा दी हैं ; और

(ख) क्या इससे हमारी चाय के निर्यात बढ़ने में सहूलियत होगी ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) और (ख). जी हां।

सीमेंट बनाने की मशीनों का निर्माण

९७३. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सीमेन्ट बनाने की मशीनें तैयार करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और अधिकाधिक ऐसी मशीनें तैयार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : विख्यात विदेशी निर्माताओं के सहयोग से सीमेन्ट बनाने के पूरे संयंत्र तैयार करने के लिये इस समय ७ फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं। प्रति वर्ष २ लाख मेट्रिक टन की क्षमता के पूरे संयंत्र के रूप में कुल लाइसेंस शुदा क्षमता १२ है। कुछ फर्मों ने पूरे संयंत्रों की सप्लाई के लिये आर्डर प्राप्त कर लिये हैं और कुछ फर्में उन पार्टियों के साथ बातचीत कर रही हैं जिन्होंने सीमेन्ट के कारखाने स्थापित करने के लिए लाईसेंस ले लिये हैं। अनुमान है कि संपूर्ण लाइसेंसशुदा क्षमता से चालू योजना की अवधि के अन्त तक उत्पादन होने लगेगा और देश की मांग पूरी करने के लिए वह पर्याप्त होगी।

रूरकेला इस्पात कारखाना

९७४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री जेबे :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के सामान्य प्रबन्धक उस कारखाने के विस्तार के लिए मशीनों के आयात के सम्बन्ध में सारी व्यवस्था पक्की करने के लिए अभी हाल पश्चिम जर्मनी गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी मशीनरी विदेशों से मंगाई जायगी; और

(ग) उससे कारखाने की क्षमता कितनी बढ़ेगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). रूरकेला इस्पात कारखाने की क्षमता १० लाख मेट्रिक टन से बढ़ा कर १८ लाख मेट्रिक टन की जा रही है। संयंत्र और साजसामान के आयात के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं। कारखाने के सामान्य प्रबंधक विभिन्न फर्मों के साथ ठेकों पर हस्ताक्षर करने के लिए २२ फरवरी, १९६४ को पश्चिम जर्मनी गये। लगभग ७८,००० मेट्रिक टन मशीनें संभवतः विदेशों से मंगाई जायेंगी।

आसाम में लघु उद्योग

९७५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के उद्योग मंत्री ने नयी दिल्ली में राज्य व्यापार निगम और योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में सरकार से अपील की है कि आगामी वित्त वर्ष के लिए आसाम के लघु उद्योगों को ज्यादा कच्चा माल दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

उद्योग मंत्री श्री (कानूनगो) : (क) और (ख). आसाम के उद्योग मंत्री ने वर्तमान जरूरी आवश्यकताओं के लिए आसाम राज्य को कुछ कच्चा माल देने के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष के साथ बातचीत की थी। उस बातचीत के मुताबिक आसाम राज्य के लघु उद्योगों को ५० टन कास्टिक फिलहाल दिया गया है। राज्य व्यापार निगम आसाम के छोटे एककों को मटन टालो भी देगा।

उद्योग मंत्री ने आगामी वित्त वर्ष में असाम के छोटे उद्योगों को ज्यादा कच्चा माल देने के बारे में योजना आयोग से कोई बातचीत नहीं की। फिर भी, आसाम को कच्चा माल देने के बारे में कुछ पूछताछ प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे कड्डप्पा के प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से दिनांक ५ मार्च १९६४ का तार मिला है जिस में कहा गया है कि श्री वाई० ईश्वर रेड्डी, सदस्य लोक सभा को गिरफ्तार कर उन्हें कड्डप्पा की उपजेल में बन्द कर दिया गया है।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९६३ के बारे में लोक लेखा समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

आसाम में रंगिया रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक पदार्थ पकडे जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: RECOVERY OF EXPLOSIVE AT RANGIYA RAILWAY STATION ASSAM

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : श्री स्वैल के अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना के सम्बन्ध में रंगिया रेलवे स्टेशन के समीप असम पुलिस द्वारा कुछ विस्फोटक पदार्थ कथित रूप से बरामद किये जाने के बारे में २७ फरवरी, १९६४ को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया गया था। अब असम सरकार से और सूचना प्राप्त हुई है। उसमें कहा गया है कि २२ फरवरी १९६४ को प्रातः दो अज्ञात व्यक्ति एक बिस्तरबन्द और एक हवाई यात्रा के थैले के साथ रिक्शा में बैठ कर रंगिया रेलवे स्टेशन के समीप एक चाय की दुकान पर आये। बिस्तरबन्द और थैले के असाधारण बोझ से रिक्शे वाले को शंका हुई तथा उसने यह बात उत्पादन-कर विभाग (एक्साइज़ डिपार्टमेंट) के एक सिपाही को बता दी। चाय की दुकान पर पहुंचने पर उत्पादन-कर विभाग के सिपाही को बता दी। चाय की दुकान पर पहुंचने पर उत्पादन कर विभाग के सिपाही को वे दो व्यक्ति नहीं मिले, परन्तु उसने बिस्तरबन्द और थैले की तलाशी ली और बिस्तरबन्द में श्लिष्टस्फोट के ऐसे आठ पैकेट मिले जिनमें १२० नग, जिन पर 'स्पेशल जिलेटिन टार्च ब्रांड' लिखा था, थे तथा विस्फोटकों की सौ-सौ सलाईयों के पांच पैकेट थे, जिन पर ब्रिटेन मार्क के १३६५ विस्फोटक बरामद किये। श्लिषस्फोट तथा विस्फोटों के साथ कोई बिना

चले कारतूस बरामद नहीं हुए। वे दो व्यक्ति, जिन्हें रिक्शा वाले ने उत्पादन कर विभाग के सिपाही को रिपोर्ट करने से पहले रेलवे स्टेशन के समीप देखा था, लापता हो गये। उत्पादन कर विभाग के सिपाही ने इस की रिपोर्ट रंगिया पुलिस को की, जिसने विस्फोटकों को कब्जे में कर लिया तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अधीन मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस ने खड्ग बहादुर नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और इस मामले की आगे जांच कर रही है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस दिशा में क्या किया जा रहा है ?

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): आसाम की प्रतिरक्षा का प्रश्न है। वहां अराष्ट्रीय तत्वों में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्या सरकार इस मामले में यह स्थापित कर सकी है कि इस प्रकार की गतिविधियों में पाकिस्तानी अथवा चीनी एजेंटों का हाथ है।

श्री हजरनवीस : जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु वैसे पूर्ण रूप से सतर्कता बरती जा रही है और राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों इस दिशा में अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हैं। प्रारम्भिक जांच तो राज्य सरकार कर रही है और हम भी सारे तथ्यों का पता कर रहे हैं।

श्री त्यागी (देहरादून) : लोगों में काफी चिन्ता और असन्तोष है, क्या सरकार इस सिलसिले में गुप्तचर विभाग को बढ़ा रही है।

श्री हजरनवीस : जरूरत महसूस हुई तो ऐसा कर दिया जायेगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : लोगों में काफी असन्तोष है। मेरा सुझाव है कि इस के लिए मंत्री महोदय को विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुला कर उन्हें विश्वास में लेना चाहिए और उन्हें आश्वासन देना चाहिये कि इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : ९ मार्च १९६४ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्य निम्नलिखित होगा।

(१) १९६४-६५ के सामान्य आय-व्ययक पर आगे चर्चा।

(२) १९६४-६५ की लेखानुदान की मांगें (सामान्य) को सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करना।

(३) निम्नलिखित पर चर्चा तथा मतदान :

१९६३-६४ के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें (रेलवे)

१९६३-६४ के लिए अनुपूरक मांगें (सामान्य)

(४) निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :

शिक्षा

पैट्रोलियम और रसायन

सूचना और प्रसारण

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हू कि विभिन्न मंत्रालय की अनुदान सम्बन्धी मांगों पर चर्चा तथा मतदान निम्न क्रम से होगा :—

शिक्षा

पैट्रोलियम तथा रसायन

सूचना तथा प्रसारण

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

श्रम तथा रोजगार

प्रतिरक्षा

परिवहन

विधि

डाक तथा तार

खाद्य तथा कृषि

सिंचाई तथा विद्युत्

सम्भरण और तकनीकी विकास विभाग

उद्योग

स्वास्थ्य

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास

सामुदायिक विकास तथा सहकार

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग

गृह-कार्य

वैदेशिक-कार्य

वित्त (आयोजन सहित)

मन्त्रालयों के लिए निर्धारित अलग अलग तिथियां अलग से बता दी जायेंगी ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): आपकी अनुमति से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सभा तथा लोक-सभा की मांगों का उत्तर देने की कठिनाई है । मेरा सुझाव यह है कि उन पर विचार करने के लिये एक समिति बना दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं गत १५ अथवा १६ वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है । राज्य सभा तो प्रभुसत्ता सम्पन्न है, उस पर यहां आलोचना नहीं की जा सकती । लगभग इसी

तरह की स्थिति लोक-सभा की है। वैसे महालेखा परीक्षक हिसाब की जांच करता है और उसका प्रतिवेदन विद्यमान है। माननीय सदस्य उसका परीक्षण कर सकते हैं। यदि कोई भूल होगी तो ठीक कर दी जायेगी।

श्री दी० चं० शर्मा (होशियारपुर) : लोक-सभा तथा राज्य सभा की मांगों की चर्चा सदन में करने से कोई लाभ नहीं होगा। वैसे भी यह परम्परा है कि उन पर चर्चा नहीं होती।

श्री प्र० के० देव (काला हांडी) : सदन में उन मांगों पर चर्चा नहीं हो सकती, यह तो सदन की प्रभुसत्ता को कम करने वाली बात होगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय की बात ठीक है कि लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा सकता है।

श्री त्यागी (देहरादून) : वर्षों की परम्परा एक दम तो नहीं छोड़ी जा सकती। परन्तु प्राक्कलन समिति वैसे सामान्यतः सभी प्राक्कलनों का अध्ययन करती ही है।

श्री अ० प्र० जैन : यदि कोई माननीय सदस्य अपने सन्देह निवारण करना चाहे तो कर सकते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : अध्यक्ष महोदय के कुछ प्राधिकार तथा विशेषाधिकार हैं, उनका ध्यान रखा ही जाना चाहिए।

श्री रंगा (चितूर) : मेरे विचार में इस मामले को नहीं उठाया जाना चाहिए। सभी विभागों की ओर से २० से ३० प्रतिशत की वृद्धि की मांग है, परन्तु अध्यक्ष महोदय के विभाग ने कोई इस तरह की मांग प्रस्तुत नहीं की। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आयंगार के समय में एक समिति बनी थी, मैं उसका सभापति था। हमने इस बात को देखने का प्रयत्न किया था कि क्या किसी प्रकार की छटनी करना सम्भव है। उस समय हमने कुछ छटनी की सिफारिश भी की थी। गत वर्ष चीनी हमले के समय हमने २० व्यक्तियों की सेवायें प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त अब भी इस दिशा में जो सम्भव होगा किया जायेगा।

श्री मुजफ्फर हुसेन, संसद् सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ARREST OF SHRI MUZAFFAR HUSAIN M.P.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : इस सदन के सदस्य श्री मुजफ्फर हुसैन की गिरफ्तारी से सम्बन्धित मामला १७ फरवरी, १९६४ को सदन में उठाया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार श्री मुजफ्फर हुसैन ने २ जुलाई १९६३ को ताण्डा जिला फैजाबाद में एक आपत्तिजनक भाषण दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा था कि यह सरकार मुसलमानों को नष्ट करने पर उतारू है और उन्हें शंका की दृष्टि से देखती है।

श्री मुजफ्फर हुसैन का यह भाषण राज्य सरकार के मतानुसार आपत्तिजनक था और भारत सुरक्षा नियमों के नियम ३५ के अधीन, "पक्षपातजनक रिपोर्ट" की परिभाषा इस पर लागू होती है।

आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा करने और अपने विधि अधिकारियों से परामर्श लेने के बाद राज्य सरकार ने नवम्बर, १९६३ में भारत सुरक्षा नियमों के नियम ४१ के अधीन श्री किदवई के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश जारी किये। अतः २५ फरवरी, १९६४ को पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी का वारण्ट जारी किया गया, जिसके अधीन उन्हें १५ फरवरी १९६४ को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त और पुलिस दल केवल १५० गज ही जा पाये थे कि श्री मुजफ्फर हुसैन इक्के से फिसल गये। उन्होंने यह बताया कि उनके सीने और कुलहे में दर्द है तथा उन्हें स्थानीय प्राथमिक सहायता दी ई। उसके बाद मैडिकल आफिसर बसखरी हैं उनकी जांच की। दूसरे दिन प्रातः उन्हें पुलिस की गाड़ी में फैजाबाद लाया गया। जेल में उन्हें उनके कथनानुसार दर्द के लिये आवश्यक उपचार दिया गया। यह उपचार तभी बन्द किया गया जबकि इसकी आवश्यकता नहीं रही।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I want to know whether this arrest has been made due to some special reasons, as the arrest has been made after a very long time.

Mr. Speaker : The matter is before the Court of law and we cannot say anything about it.

श्री त्यागी (देहरादून) : देरी का कारण स्पष्ट है कि मामले की खूब अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल की गयी है।

सामान्य आय व्ययक-सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET-GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य आय व्ययक पर चर्चा करेंगे।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकर) : आय व्ययक कोई लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन होता है। कांग्रेस दल के रूप में भुवनेश्वर में हमने अपने सामने एक सामाजिक लक्ष्य रखा था और हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। मैं तो इसी दृष्टिकोण से इस बजट को देखता हूं कि कहां तक इसके द्वारा हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। मुझे इस बात का सन्तोष है कि वित्त मन्त्री महोदय ने औद्योगिक उत्पादन की समस्या पर काफी ध्यान दिया है। और इसके लिए उन्होंने कराधान में जहां तक निगमित क्षेत्र कुछ हे तबदीलियां भी की हैं। ११ करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाये हैं। लाभांश पर अधिकर के मामले में जो रियायतें दी गयी हैं उनसे कुछ चिन्ता भी होती है। मेरे विचार राहत देने से धन का जमाव भी एक स्थान पर हो सकता है। मैं यह चाहता हूं कि वित्त मन्त्री सभा को यह बतायें कि वह इसका मुकाबला कैसे करेंगे। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब तक कोई अन्तिम कार्यवाही नहीं की गयी तब तक एक स्वधिकार अथवा धन के जमाव में और वृद्धि नहीं हुई।

दूसरी बात अधिलाभकर के स्थान पर अधिकर लगाने की है। हमें ऐसे किन्हीं अधिमान अंशों या ऋण पत्रों की जानकारी नहीं है जो १० या इससे अधिक प्रतिशत दर पर जारी किये जा रहे हैं। सभी ऋण पत्र या अधिमान पूंजी ब्याज की काफी कम दर पर जारी की जाती है। फिर यह कैसे युक्तिसंगत हुआ कि वित मन्त्री ने उन सभी चीजों को मिला लिया और वास्तव में दी जाने वाली रकम को ध्यान में रखे बिना ही १० प्रतिशत की कमी कर दी? यह ठीक है कि वित्त मन्त्री बचतों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिमान पूंजी या ऋण पत्रों या ऋणों पर अधिक छूट पा

[श्री अ० प्र० जैन]

कर लाभ उठाते हैं, अर्थात उसे १० प्रतिशत की छूट मिलती है जबकि वह १० प्रतिशत से कम का भुगतान करता है—अतः उस सीमा तक यह संचित राशि बनाने में निरुत्साह उत्पन्न करेगा। वित्त मन्त्री को ये दोनों बातें स्पष्ट करनी चाहियें क्योंकि इनसे मेरे मन में काफी भ्रम पैदा हो गया है।

विदेशी पूंजी, विशेषकर साम्य पूंजी, का अर्थ है कि हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशियों का हस्तक्षेप होगा और इसका अन्तिम परिणाम यह होगा कि हम पर अन्य प्रकार के दबाव भी डाले जा सकते हैं। दक्षिण अमरीका का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है, वहां पर संयुक्त राज्य अमरीका का प्रभुत्व है। यह और भी चिन्ताजनक बात है कि विदेशी साम्य पूंजी विशेष कर भारी उद्योगों तक ही सीमित है। आशा है कि मन्त्री महोदय विदेशी पूंजी के प्रति विशिष्ट रवैया अपनायेंगे और अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में उद्योगों में इसका विनियोजन नहीं होने देंगे और इसे न्यूनतम मात्रा तक ही सीमित रखेंगे।

हमारी अर्थ-व्यवस्था में खेती का आधा स्थान है परन्तु आयव्ययक में कृषि की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। जहां तक किसानों को कृषि-उपकरण उपलब्ध कराने का प्रश्न है आय-व्ययक में कृषि के लिये अधिक राशि निर्धारित की जानी चाहिये। जैसे कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये आयव्ययक में काफी रियायतें दी गई हैं इसी प्रकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये भी कुछ प्रलोभन दिये जाने चाहिये थे। इस बारे में कुछ बातों की ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करूंगा। गत वर्ष हमने उनसे मिट्टी के घटिया तेल पर, जिसे ग्रामीण जनता अपने घरों में रोशनी के लिये प्रयोग करती है, शुल्क कम करने के लिये कहा था। चाल वर्ष में मिट्टी के तेल से अनुमानित लक्ष्य से काफी अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। अतः वित्त मन्त्री को मिट्टी के घटिया तेल पर शुल्क में कुछ छूट देनी चाहिये। इसी प्रकार किसानों को डीजल तेल पर जिसे वे नल तथा ट्रैक्टर चलाने में प्रयोग करते हैं, छूट दी जानी चाहिये। उर्वरकों की कीमतें भी कम की जानी चाहियें।

रिजर्व बैंक सहकारी समितियों को २ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देता है परन्तु जब यह रकम किसानों तक पहुंचती है तो ब्याज की दर ८ से १० प्रतिशत तक हो जाती है। इसका कारण यह है कि बीच में बहुत से बिचौलिये हैं जैसे अपेक्सबैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक समिति। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि इनमें से कम से कम एक को समाप्त किया जाना चाहिये। या तो प्रदेशों तथा जिलों में अपेक्स बैंक की शाखायें होनी चाहिये। जो प्राथमिक सहकारी समितियों को ऋण दें या प्रादेशिक बैंक होने चाहिये जो एक क्षेत्र के लिये कार्य करें और अपेक्स बैंक समाप्त हो जायें ताकि प्रादेशिक बैंक सीधे ही प्राथमिक समितियों को ऋण दे सकें। इससे किसान के ब्याज की दर में दो से तीन प्रतिशत तक की कमी हो जायेगी जिससे उसको बहुत राहत मिलेगी।

सहकारी चीनी मिलें बहुत अच्छा काम कर रही हैं परन्तु आय-कर के मामले में उनके साथ उपेक्षा का सा बर्ताव किया जा रहा है। यदि कोई निजी मिल निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसानों से गन्ना खरीदती है तो उसे उस समूचे मूल्य पर आय-कर नहीं देना पड़ता। ऐसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। वहां गन्ना २ रुपये की बजाय २ रुपये ६ आने के हिसाब से खरीदा जाता है, ३ आने उत्तर प्रदेश सरकार देती है और ३ आने मिल देती है। उस समूचे मूल्य को आय-कर विवरण में नहीं दिखाया जाता। सहकारी समितियों ने गन्ना उत्पादकों से दीर्घकालीन ठेके किये हुए हैं। ये समितियां गन्ना उत्पादकों को गन्ने के अधिक दाम देती हैं परन्तु इनको गन्ने के निर्धारित मूल्य से अधिक राशि के लिये आय-कर से छूट नहीं दी जाती। इस तरह से सहकारी समितियों

का विकास नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री को वित्त विधेयक में उपबन्ध करके सहकारी चीनी मिलों तथा माल तैयार करने वाले अन्य सहकारी उद्योगों को पर्याप्त राहत देने का अधिकार प्राप्त करना चाहिये ताकि हम सही अर्थों में समाजवादी समाज का निर्माण कर सकें। सहकारी क्षेत्र को केवल सुगठित करने की ही नहीं अपितु उसका विस्तार करने की भी योजना बनाई जानी चाहिये। वित्त मंत्री को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

जहां तक आय के समतापूर्ण वितरण का सम्बन्ध है इस आय व्ययक में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री अपने अगले आयव्ययक में इस बारे में आवश्यक कुछ शुरूआत करेंगे।

वित्त मंत्री ने अपने आयव्ययक भाषण में कहा है कि उनके आयव्ययक प्रस्तावों के द्वारा हर स्तर पर कर कम कर दिये गये हैं। परन्तु आंकड़ों की जांच करने से उलटा ही परिणाम निकलता है। हां, यह संतोष का विषय है कि अनिवार्य जमा योजना को समाप्त कर दिया गया है। अधिक आय वाले व्यक्तियों को ही आय-कर में राहत दी गई है।

उत्पादन शुल्कों में जनसाधारण को कोई राहत नहीं दी गई है। पूंजी लाभ कर में जो परिवर्तन किया गया है जिसके द्वारा कम आय वालों पर कम और अधिक आय वालों पर अधिक कर लगाया गया है वह अच्छा प्रस्ताव है। सम्पदा-शुल्क तथा उपहार कर की दरों में भी जो परिवर्तन किया गया है वह समाजबाद की ओर एक कदम है। सब लोगों को अपनी कमाई के भरोसे जीना चाहिये ताकि अनर्जित किराये आदि पर। यही समाजवाद का मूलभूत सिद्धांत है। इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं।

कीमतों में ७.२ प्रतिशत की वृद्धि थोक दामों की है जिससे उपभोक्ताओं को संबंध नहीं। परन्तु जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें २०–२५ प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री को थोक मूल्यों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : कई बार कीमतों के दाम गलत भी बताये जाते हैं। उन्होंने स्वयं एक बार मुझे लिखा था कि आंकड़ों में कभी कभी गलती हो जाती है।

श्री अजित प्रसाद जैन : जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वे निराश हो रहे हैं। यदि योज : को सफल बनाना है तो कीमतों को नियंत्रण में रखना होगा। परन्तु खेद है कि आयव्ययक में कोई प्रस्ताव इस के लिये नहीं किया गया। उत्पादन बढ़ाकर मूल्यों को कम करने में बड़ा समय लगता है। किन्तु उस अवधि के बीच भी कोई व्यवस्था करनी पड़ती है।

नियंत्रण के सम्बन्ध में हमें प्रशासन को सुधारना चाहिये, क्योंकि धन सम्बन्धी नियंत्रण प्रभावपूर्ण नहीं होता। राजकोषीय नियंत्रण भी कीमतों को नियंत्रण में नहीं रख सकते। जनता की निराशा को दूर करने के लिये कीमतों को काबू में रखने के लिये शासन तंत्र को सुधारना होगा।

राज्यों में ३६०० करोड़ रुपये के ऋण बकाया हैं। बजट में वह ५५९ करोड़ की सहायता देने जा रहे हैं। यह राशि पिछली वार्षिक राशियों से अधिक है। राज्यों में वसूली प्रायः बिल्कुल नहीं हुई। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। हमें आशा करनी चाहिये कि वित्त मंत्री अधूरे काम को पूरा करेंगे और भुवनेश्वर में पारित संकल्प को कार्य रूप में परिणत करेंगे।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बालापुजा) : सभा ने औद्योगिक नीति संकल्प द्वारा स्वीकृत जिन राष्ट्रीय नीतियों को मान्यता दी है, इस बजट द्वारा उन्हीं की अवहेलना तथा खंडन किया जा रहा है।

[श्री वासुदेवन नायर]

संविधान के निदेशक सिद्धांतों की भी उपेक्षा की जा रही है। वित्त मंत्री का गैर सरकारी क्षेत्रों को हिदायतें जारी करना राष्ट्रीय नीतियों में अन्तर्निहित विचारों का मर्दन है। क्या दाजी द्वारा भुवनेश्वर संकल्प का उल्लेख करने पर वित्त मंत्री का उतेजित हो जाना और भुवनेश्वर संकल्प को अपने दल का निजी मामला मान लेना उचित है ? समाजवाद तथा समान वितरण के सिद्धांतों में समस्त देश की अभिरुचि है। उन राष्ट्रीय नीतियों की क्रियान्विति होनी ही चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

देश की आर्थिक स्थिति इतनी संकटापन्न है कि जन साधारण की अवस्था अत्यन्त सोचनीय एवं दयनीय है। इतने महत्वपूर्ण मामले पर राष्ट्रीय दृष्टिकोंण से विचार किया जाना चाहिये था। परन्तु खेद है कि वित्त मंत्री गैर-सरकारी क्षेत्रों को अधिकाधिक अश्रय तथा प्रोत्साहन देते जा रहे हैं। एक दृष्टिकोण एकांकी होने के कारण सर्वथा हानिकारक एवं गलत है। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि प्रत्यास एकक, जो स्थापित किया जा रहा है, वह मध्यम दर्जे के लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बनाया गया है। परन्तु दुःख का विषय है कि वह प्रन्यास एकक एकाधिकार वादियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। इस बात से भी यह प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री को गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रति बड़े प्रेम और सहानुभूति है जब वह यह कहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में अब उन पुराने विचारों तथा प्रवृत्तियों वाले लोगों का नियंत्रण नहीं रहा है, जिन परिवारों के नामों पर गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग चल रहे थे। वित्त मंत्री का गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रति इतना पक्षपातपूर्ण भाव दर्शाना उनकी निजी नीति का द्योतक है।

इस आयव्ययक में कृषि की सर्वथा उपेक्षा की गई है। समझ में नहीं आता कि इतने महत्वपूर्ण उद्योग की ओर ऐसी उदासीनता क्यों दर्शायी जाती है, जिस पर देश की अधिकांश जनता निर्भर है। देश में प्रगति लाने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये यह नितांत जरूरी है कि कृषि संगठनों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। कृषि में सुधार लाने के लिये यह परमावश्यक है कि भूमि सम्बन्धी सुधार किए जायें और उन को अच्छी तरह कार्यान्वित किया जाय। दुःख तो इस बात का है कि स्वयं राज्य सरकारें अपने द्वारा बनाये गए कानूनों की ही उपेक्षा करती हैं और उनको कार्यान्वित नहीं होने देती। परिणामतः कृषि का विकास रूका रहता है और उत्पादन बढ़ता नहीं, फिर देश कैसे प्रगति करे। इस क्षेत्र को ओर सरकार उपेक्षा भाव त्याग कर सक्रिय रूप से ध्यान दे।

सरकार द्वारा गांवों की उन्नति तथा कृषि के लिये जो भी धन प्रदान किया जाता है, उसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है, सदुपयोग होता है या नहीं, जिन लोगों के लाभार्थ धन दिया जाता है, उस से उनको लाभ पहुंचता है या नहीं, इन सब बातों की जांच करवाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा विश्वास है कि वह धन गावों के साधारण व्यक्ति या जरूरत मन्द व्यक्ति को नहीं मिलता, और कुछ शक्तिशाली तथा प्रभावशाली व्यक्ति जिन को साधारणतया वह धन नहीं मिलना चाहिये, वे उन क्षेत्र के अधिकारियों से मिल कर उस धन को अपने स्वार्थ कार्यों में लगाते हैं और साधारण व्यक्ति को उसके लाभ से वंचित रहना पड़ता है। हमारी योजना का केवल मात्र यह उद्देश्य नहीं कि कृषि तथा अन्य ग्राम्य धंधों को नवीन रूप प्रदान किया जाय, यह नवीन रूप तो हमें अपनी परियोजनाओं को देना ही है, परन्तु साथ ही यह भी हमारा उद्देश्य है कि गांवों की परियोजनाओं पर शक्तिशाली

तथा धनवान लोगों का कब्जा न होने पाये और उन परियोजनाओं का पूर्ण लाभ किसानों को तथा कमजोर वर्गों के लोगों को प्राप्त होना चाहिये। यदि ऐसा हम ने किया, तो गावों की स्थिति में वास्तविक सुधार हो सकेगा। अन्यथा जो स्थिति अब है कि धनी लोग अधिकाधिक धनी तथा निर्धन अधिकाधिक निर्धन होते जा रहे हैं, वह कायम रहेगी, और जिस प्रगति तथा समाजवाद लाने का हमारा लक्ष्य एवं ध्यय है वह नहीं आ सकेगी। अतः इस के बारे में सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। परन्तु खेद है कि वित्त मंत्री संसद द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों पर कुठाराघात करने पर तुले हुए हैं।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : डा० राम मनोहर लोहिया ने संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य की नियुक्ति के बारे में जो आरोप लगाया है वह सर्वथा गलत है। नियुक्ति योग्यता के आधार पर ही की गई है। उसे बिहार सेवा से नहीं निकाला गया था और वह भारतीय इंजीनियरी सेवा का सदस्य था। सेवा निवृत्ति के बाद लोक-सेवा आयोग की सिफारिश पर वह एक पद पर लगाये गये, जो नन्दा जी के अधीन था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा उनकी ईमानदारी, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर की गई। वाणिज्य मंत्री ने भी उसकी बड़ी प्रशंसा की। संघ लोक-सेवा आयोग के सभापति की अनुमति ने उनको जूनियर सदस्य के रिक्त पद पर लगाने की सिफारश राष्ट्रपति से की गई। जहां तक सम्बन्ध या नातेदारी का प्रश्न है, बहुत दूर के नाते का कोई अर्थ नहीं हुआ करता।

उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना निर्यात निगम तथा इसके भूतपूर्व सभापति श्री मिश्र के बारे में भी निराधार आरोप लगाये हैं। दरभंगा हवाई अड्डे का काम ठेके के आधार पर दिया गया क्योंकि निगम का ठेका सब से कम था। उसे प्रति हजार घनफुट काम के लिये ८० रुपये दिये गये, न कि ११० रुपये। अर्थ वर्क का काम मैसर्स खान्ना निर्माण समवाय को कम टेंडर होने के कारण दिया गया। चूंकि यह सरकारी उपक्रम है इसका लाभ किसी व्यक्ति की जेब में नहीं जाता। सब काम नियमित तरीके से किया गया। कोई अनियमितता नहीं की गई। अन्य हवाई अड्डों के निर्माण लागत के मुकाबले में इस काम के लिये १०–१५ प्रतिशत कम दाम दिये गये, जब कि काम समान था। इस निगम ने बड़ा ऊत्तम काम किया है और सरकारी कोष के लिये ७० लाख की बजत की है। यह ४ १।२ प्रतिशत तक लाभांश भी दे सका है।

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki): Dr. Lohia referred to only the profit which should have gone to Labour under Socialism. Regarding Mr. Mehta, the entire relevant record should be obtained including debate of Bihar Assembly on the subject, and then his appointment should be discussed here.

श्री ब० रा० भगत : श्रीमकों को ४८ रुपये दिये गये न कि १५ या २० जो कि डा० लोहिया ने कहा है बहुत से सदस्यों ने वित्त मंत्री के आयव्ययक को कांग्रेस के उद्देश्यों के प्रतिकूल कहा है। आर्थिक उन्नति तथा लगातार प्रतिरक्षा के प्रयत्नों के द्वारा सामाजिक व्यय बढ़ता है और अर्थ व्यवस्था में मुद्रा सफीति का दबाव कम होता है। हमें व्यय तथा करों को समेकित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। प्राथमिकताएं सर्वाधिक वांछित वर्ग में उन्नति लाने के लिये निर्धारित की जा रही है, योजना परिपत्र में इस वर्ष बहुत वृद्धि कर दी गई है और कृषि सिंचाई, मूलभूत उद्योग, आदि प्रमुख क्षेत्रों में व्यय होगा। प्रतिरक्षा व्यय को बढ़ाया गया है। राज्योंको भी अधिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे उत्पादन बढ़ाने के आवश्यक क्षेत्रों को सहायता

[श्री ब० रा० भगत]

दें सकें मुद्रा स्फीति को रोकने का भी प्रयास किया गया है। कुल घाटा बहुत कम है। पिछले ७–८ वर्षों की तुलना में अब अन्तर बहुत कम रहा है आय व्यय में, केवल ८६ करोड़ रुपये का।

करारोपण प्रस्तावों से भाग (क) में दी गयी नीति पुष्ट होती है। निगमित क्षेत्र के लिये मान्य क्षेत्रों में विनियोजन बढ़ाने के निमित्त आर्थिक उन्नति का प्रमुख लक्ष्य है।

इस बात में कोई सार नहीं कि औद्योगिक संकल्प की नीतियों की अवहेलना की जा रही है। गैर सरकारी क्षेत्र को यदि कोई रियायतें दी गई हैं तो उनका औचित्य है और उनसे आर्थिक आवश्यकताओं की मांग पूरी होती है। बिना किसी लाभ या औचित्य के कोई रियायत गैरसरकारी क्षेत्र को नहीं दी गई ।

एकाधिकार तथा धन का कुछ लोगों के हाथों में जमा होते जाने की प्रवृत्ति, जो समाज के हितों के लिये हानिकारक होती है, उसको तभी रोका जा सकता है जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पूर्ण विकास हो जाए। इस दिशा में सरकार द्वारा काफी प्रयत्न किये जा चुके हैं तथा अग्रतर कार्य किये जा रहे हैं। यह सन्तोष का विषय है कि कुछ क्षेत्रों तथा उद्योगों में सरकारी उपक्रमों को प्रमुख स्थान प्राप्त हो चुका है। इस कार्य को करने में बहुत समय लगेगा तथा कुछ नीतियां बनानी होंगी जिनको कार्य रूप में परिणत करना होगा सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है।

धन संचय को रोकने के लिये ही और भी कई उपाय किये गये हैं, मृत सम्पत्ति कर, लाभ कर, व्यय कर इन के उदाहरण हैं। कर अपवंचन, जो करोड़ों रुपयोंका होता है, उसे रोकने के लिए ही बड़ी कड़ी कार्रवाई करने का विचार है। इन सभी उपायों के द्वारा धन का संचय रोकने की दिशा में कुछ प्रगति होगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की काफी निन्दा की गई है। परन्तु वस्तु स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि चित्रित की गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जो उपक्रम अभी बन रहे हैं और जिन्होंने कार्य आरम्भ नहीं किया, उनके आंकड़ों को हम न जोड़ें। हमें केवल उन उपक्रमों के आंकड़ों को लेना चाहिये जो कार्य कर रहे हैं। कहना होगा कि चल रहे उद्योगों का काम सन्तोषजनक है। कुछ उपक्रम अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अपने विस्तार का भार स्वयं वहन कर रहे हैं, उदाहरणार्थ हिन्दुस्तान टूल्स सीमित। अत. हमें सरकारी उपक्रमों पर विचार करते समय सही दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिये। इन उपक्रमों से हमें बड़ी भारी आशायें हैं। समाजवाद लाने में ये सहायक होंगे तथा धन संचय को रोक पायेंगे। इन उपक्रमों द्वारा काफी लाभ कमाया जा रहा है और ज्यों ज्यों इनका काम बढ़ेगा, इन का लाभ और बढ़ेगा। ये किसी भी प्रकार हानिकारक नहीं हैं, बल्कि लाभप्रद हैं। हमें इन उपक्रमों का विकास करना ही होगा। राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये माननीय सदस्यों ने कृषि की ओर सरकार की उपेक्षा भावना का आरोप लगाया है। परन्तु यह नितान्त गलत और निराधार आरोप है। कृषि वास्तव में राज्य सूची का विषय है। किन्तु फिर भी वित्त मंत्री ने कृषि विकास के लिये की गई व्यवस्था को बढ़ाया है। चालू वर्ष की धन व्यवस्था की तुलना में अगले वर्ष के लिये २५ करोड़ रुपये की अधिक राशि रखी गई है। वित्त मंत्री १५ से २० करोड़ रुपये तक अधिक देने को भी तैयार हैं ताकि कृषि का समुचित विकास किया जा सके। कृषि जन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये सब प्रकार के कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। कृषि के लिये आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करके किसानो को दी जा रही हैं। सिंचाई व्यवस्था बढ़ाई

जा रही है, उर्वरकों, बीजों आदि की व्यवस्था की जा रही है और भूमि सम्बन्धी सुधार भी किये जा रहे हैं। कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्य भी स्थिर करने का विचार है और किसानों को उत्पादन बढ़ाने के हेतु प्रोत्साहन देने का भी विचार है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि कृषि के सभी पहलुओं से उन्नति लाने का प्रयास जारी है, और किसी भी प्रकार कृषि की उपेक्षा नहीं की जा रही। विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था की गई है ताकि विदेशों से कृषि के लिये अपेक्षित सामान मंगवाया जा सके। सहकारी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि सम्बन्धी न्यूनताओं और त्रुटियों को दूर किया जा रहा है। किसानों के लिये ऋण की भी सुविधा प्रदान की जा रही है और विनियत बाजारों की स्थापना की जा रही है। अतः यह कहना सर्वथा गलत होगा कि वित्त मंत्री कांग्रस द्वारा निर्धारित तथ्यों और नीतियों का खलन कर रहे हैं। वास्तव में वह तो कांग्रेस तथा राष्ट्रीय नीतियों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

श्री दे० शि० पाटिल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऋण लेने की योग्यता उत्पादन की क्षमता . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति , शान्ति ।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्यों द्वारा इस सारी जटिल अर्थ-व्यवस्था को अपनी अपनी दृष्टि से देखा है। किन्तु यद्यपि निगमों को प्रोत्साहन दिया गया है तथापि उन पर ११ करोड़ रुपये का अधिक कर लगाया गया है। निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को विशेष लाभ पहुंचाये गये हैं और भविष्य में भी यह प्रथा बनाये रखी जायेगी।

कृषि और उद्योग की व्यवस्था निश्चित पद्धति के अनुसार करनी है और वह पद्धति आयोजित विकास की पद्धति है। भुवनेश्वर में इस उद्देश्य की कल्पना की गई थी कि पहले उत्पादन में वृद्धि की जाय और सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए और फिर उत्पादन का समुचित वितरण किया जाय। इस बजट से देश की सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : माननीय राज्य मंत्री का भाषण सुनते समय मैं सोच रहा था कि मैंने अपने भाषण के जो संकेत तैयार किये उनमें कुछ परिवर्तन करूंगा किन्तु अब उस परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। उन्होंने तो कह दिया है कि जो लोग बजट में समाजवाद का उद्देश्य नहीं देखते वे अंधे हैं ।

मैं बजट की उन मूल बातों का निवेदन करना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री मोरारजी का बजट प्रस्ताव उसके साहस का प्रतीक था और वर्तमान वित्त मंत्री का बजट उसकी धारणा के अनुसार समाज को बदलने का उसका चतुराईपूर्ण प्रयत्न है।

यह बजट १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प का ह्रास है। आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण और मूल्य वृद्धि के बारे में कुछ नहीं किया गया है। ऐसा समय आ गया है जब यदि कुछ न किया गया तो १९५६ की औद्योगिक नीति को पहचानना कठिन हो जायेगा।

हम यह नहीं कहते कि सरकारी उद्योग क्षेत्र को मुनाफा नहीं कमाना चाहिये किन्तु बजट में यह अभिप्रेत है कि यह क्षेत्र गर-सरकारी उद्योग क्षेत्र से भी अधिक मुनाफा कमा कर सामान्य राजस्व में वृद्धि करे। किन्तु ऐसा करने का अभिप्राय होगा कि मुनाफा कमाना न्यायोचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें २.३० बजे गैर सरकारी कार्य आरम्भ करना है। यदि सभा ४५ मिनट देर तक बैठना चाहे तो मैं दो सदस्यों को अवसर देना चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब श्री भागवत झा आज़ाद अपना भाषण कल जारी रखें । हम अब गैर-सरकारी कार्य आरम्भ करते हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिमि

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS' AND RESOLUTIONS

पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री मुथिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से जो ४ मार्च, १९६४ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से जो ४ मार्च, १९६४ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

आपात काल की उद्घोषणा के बारे में संकल्प

RESOLUTION *Re*: PROCLAMATION OF EMERGENCY

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री त्रिदिब कुमार चौधरी द्वारा २१ फरवरी, १९६४ को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ करती है :

"इस सभा की यह राय है कि राष्ट्रपति द्वारा २६ अक्तूबर, १९६२ को की गई आपातकाल की उद्घोषणा को आगे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिये सरकार से सिफारिश करती है कि वह राष्ट्रपति को इस समाप्त करने की सलाह दे ।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैंने गत बार इस चर्चा के दौरान कहा था कि मुझे भली प्रकार विदित है कि इस प्रख्यापन से सरकार को असाधारण अधिकार प्राप्त हैं जो सामान्य परिस्थितियों में सरकार को नहीं मिलने चाहियें। किन्तु श्री नि० चं० चटर्जी की बात को नहीं समझ सका कि अंग्रेजों ने भी कभी नागरिक अधिकारों को नहीं छीना था।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : उन्होंने कभी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं छीना था।

श्री नन्दा : मैं संवैधानिक प्रश्न को नहीं लेता और मानता हूं कि इस से सरकार को कुछ नागरिक अधिकार छीनने का अधिकार दिया गया है। मेरे मित्र का मत है कि चाहे यह संविधान के अनुकूल हो या विरुद्ध नागरिक अधिकार नहीं छीनने चाहिये ।

संविधान निर्माताओं ने चीन के धोखेबाजी की स्थिति की कल्पना नहीं की थी किन्तु यह सोचकर कुछ अधिकारों की व्यवस्था की थी कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब नागरिक अधिकार छीनने आवश्यक होंगे। ऐसी स्थिति पैदा होने पर सभा ने पूरे उत्साह के साथ इस प्रख्यापन का समर्थन किया था। अब प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता रही है या नहीं।

संविधान के इस उपबंध का यह उद्देश्य था कि ऐसी स्थिति में जो विभिन्न विधियां और राज्यों के विभिन्न अधिकार आवश्यक कार्यवाही में बाधा पैदा कर सकते हों वे न रहें।

दो प्रकार की शिकायतें की गई हैं एक तो यह कि अधिकारों का पूरा प्रयोग नहीं किया गया और दूसरे यह कि उनका दुरुपयोग किया गया है। वास्तव में उनका दुरुपयोग नहीं किया गया क्योंकि १० फरवरी, १९६३ तक १,३२३ लोगों को निरुद्ध किया गया था जिन में से पुनरीक्षण पर १,०४१ लोगों को छोड़ा जा चुका है। शेष २८२ में से १८६ का किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं और बाकी ९६ में से ६१ साम्यवादी, ९ कांग्रेसी, ४ जमायते इसलामी के, ३ जन संघ, १ समाजवादी। अतः यह कहना गलत है कि किसी दल को दबाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है।

यह भी संदेह प्रकट किया गया कि श्रमिकों के कार्यों को दबाया गया है। मैं भी मजदूर संघ का कार्यकर्ता हूं और कभी गिरफ्तार भी किया गया था अतः मैं इस बारे में अधिक सचेत हूं।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Then the hon. Minister must be aware that you are better than the Britishers or not.

श्री नन्दा : मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मजदूर संघ के किसी कार्य पर रोक नहीं लगाई गई। कुछ एक घटनाएं हुई हैं जहां संचार साधनों में बाधा पहुंचाने के कारण कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं।

समाचारपत्रों के बारे में बिना भली प्रकार विचार किये कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया गया।

यदि यह प्रश्न है कि अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो माननीय सदस्य सरकार से कह सकते हैं कि इसे रोका जाय न कि यह कि प्रख्यापन को रद्द किया जाय।

यदि इन अधिकारों का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया गया तो वे सुरक्षित रखे गये हैं और परिस्थिति पैदा न होने पर प्रयोग नहीं किये जायेंगे।

एक तर्क यह है कि परिस्थिति की मांग पर भी सख्त कार्यवाही नहीं की गई। यह तर्क भी प्रख्यापन को रद्द करने का तर्क नहीं है।

यदि संकल्प का यह उद्देश्य है कि अब प्रख्यापन जारी रखने की स्थिति नहीं रही तो हमें तथ्यों को देखना चाहिये। अब स्थिति पहले से भी अधिक गंभीर है। चीनी सीमा पर सड़कों आदि का स्थायी प्रबन्ध कर रहे हैं।

पाकिस्तान और चीन ने गठजोड़ कर लिया है जिस से खतरा कई गुना बढ़ गया है। हम ने अपनी तैयारियों में कोई ढील नहीं की और आज शत्रु का मुकाबला करने की हम में अधिक क्षमता है। अन्य बातें भी हुई हैं। चीन अभी तक कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। न ही वह मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थितियों में इन अधिकारों को नहीं छोड़ा जा सकता।

[श्री नन्दा]

यह भी तर्क दिया गया फिर जब कोई घटना हो तो ये अधिकार ले लिये जायें और अब इन्हें त्याग दिया जाये। तब तो लड़ाई खत्म होते ही प्रख्यापन रद्द कर देना चाहिये था किन्तु गंभीर स्थिति का मुकाबला इस प्रकार नहीं किया जा सकता।

एक तर्क यह भी दिया गया कि मैंने कहा था कि आपातकाल शीघ्र समाप्त कर दिया जायेगा। वास्तव में मैं ने यह प्रश्न पूछे जाने पर कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के होते हुए निवारक निरोध अधिनियम की क्या आवश्यकता है यह कहा था कि हम तो चाहते हैं कि वह दिन शीघ्र आये जब भारत प्रतिरक्षा नियमों को समाप्त कर दिया जाये। इस समय आपातकाल को समाप्त करना सम्भव नहीं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : माननीय मंत्री ने मुख्य बात को नहीं लिया। वास्तव में ये अधिकार उन्हें दिये गये थे कि वे राष्ट्रीय संसाधनों और जन शक्ति को संगठित करें जिसे वे नहीं कर पाये ।

अन्य देशों ने भी युद्ध लड़े हैं किन्तु वे गंभीर थे और अपने कार्य को जानते थे अतः उन्हें ऐसे अधिकारों की आवश्यकता नहीं पड़ी।

अनुच्छेद ३५३ के अधीन केन्द्रीय सरकार को एकात्मक सरकार के रूप में काम करने का अधिकार दिया गया है किन्तु यहां राज्यों में गुटों में सत्ता के लिए सघर्ष चल रहे हैं और आपने कुछ नहीं किया । आपने तो केवल लोगों के अधिकार छीनने का ही काम किया है। अनुच्छेद १९, १४, २१ और २२ के सभी अधिकारों से नागरिकों को वंचित किया जा रहा है। प्रख्यापन के अधिकारों को जिस रीति से प्रयोग किया गया है वह बहुत खतरनाक है। श्री कृष्ण पटनायक को इस बात पर गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने कहा कि राजस्व अधिकारियों ने अन्यायपूर्ण ढंग से प्रतिरक्षा के लिए रुपया एकत्र किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपातकाल समाप्त कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि राष्ट्रपति द्वारा २६ अक्तूबर, १९६२ को की गई आपातकाल की उद्घोषणा को आगे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिये सरकार से यह सिफारिश करती है कि वह राष्ट्रपति को उसे समाप्त करने की सलाह दे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived:

भूमि सुधार के बारे में संकल्प

RESOLUTION Re: LAND REFORMS

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि पूर्णतया भूमि सुधार करने के लिए जिसमें जोतने वाले को भूमि का स्वामी बनाना, ग्रामीणों की ऋण-ग्रस्तता

को समाप्त करना और मूल्यों को गिरने पर सहायता देने के साथ विक्रय की समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्मिलित है, विधान सम्बन्धी तथा कार्यपालिका सम्बन्धी उपायों द्वारा तत्काल कदम उठाये जायें।"

पिछले १७ वर्ष से, जब से हम आजाद हुए हैं, यह गंभीर समस्या हमारे ससक्ष है किन्तु सरकार ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं किया और न केवल किसान को भूमि नहीं दी बल्कि पट्टेदारी की व्यवस्था में भी सुधार नहीं किया गया। कोई भी देश जो उत्पादन बढ़ाना चाहता हो और औद्योगिक प्रगति करना चाहता हो वह भूमि सुधार के बिना सफल नहीं हो सकता।

सामंतशाही को समाप्त कर देना चाहिये और किसान को उसकी उपज के उचित मूल्य, विपणन सुविधाएं, अधिक अच्छे औजार और ऋण की सुविधाएं देनी चाहियें। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लिखा गया था कि भावी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि भूमि की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाता है। किन्तु इस घोषणा के भी १३ वर्ष बाद तक कोई कदम नहीं उठाया गया।

शासक दल कहेगा कि उन्होंने जमींदारी का उन्मूलन कर दिया है किन्तु सच तो यह है कि ४५० करोड़ रुपया जमींदारों को दे दिया है और किसान को भूमि नहीं मिली।

रय्यतदारी के सम्बन्ध में भी कुछ राज्यों में कुछ एक विधान बनाये गये हैं किन्तु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। केवल केरल कृषि सम्बन्ध अधिनियम से किसान को ठोस रियायत दी गई थी किन्तु उसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अब सरकार कहती है कि वे संविधान के अनुच्छेद सत्रह में संशोधन करेंगे।

मद्रास ने भी भूमि सम्बन्ध अधिनियम बनाया है और भूमि स्वामित्व की अधिकतम ३० एकड़ रखी है किन्तु उसमें भी त्रुटियां हैं और बड़े परिवार ६० एकड़ तक भूमि अपने पास रख सकते हैं। बेनामी उपहार से अधिकतम भूमि की सीमा का उल्लंघन किया जाता है। अन्य राज्यों की भी प्रायः यही स्थिति है।

अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद जो भूमि ली गई है वह भी किसी काश्तकार को नहीं दी गई। किसी भी राज्य में उसे बांटा नहीं गया। कृषक को भूमि देना तो अलग रहा उसके पास जो कुछ है वह भी उससे छिन रहा है और जो कल तक काश्तकारी करते थे उन्हें कृषक मजदूर कह कर बेदखल किया जा रहा है।

मद्रास १९६१ में किसानों ने संघर्ष किया था कि अधिकतम सीमा को लागू किया और उसमें १५,००० किसान गिरफ्तार हुए थे। आंध्र में आजकल अधिक भूराजस्व के विरुद्ध जो आन्दोलन हो रहा है उसने राज्यव्यापी रूप धारण कर लिया है। योजना आयोग के प्रस्ताव में भी त्रुटि थी जिसका लाभ जमींदार उठाते है। अतः सरकार ने अब तक जो भूमि सुधार किया है वह परिहास बन गया है और उससे कोई लाभ नहीं हुआ।

प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार अब तक कुल ७८ लाख एकड़ कृष्य भूमि और ११·३१ करोड़ बंजर भूमि बांटी गयी है। इससे पता चलता है कि सरकार को यह काम करने में १७ वर्ष लग गये हैं और उसमें कितनी ढील है।

[श्री नम्बियार]

मुख्य राज्यों में परती भूमि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	लाख एकड़
आंध्र प्रदेश	८१
आसाम	८६
बिहार	२१६
बम्बई	११२
मध्य प्रदेश	१८४
मद्रास	३५
मैसूर	७१
उड़ीसा	५
राजस्थान	२१६
उत्तर प्रदेश	७३

कितने खेद की बात है कि सरकार के पास इस सम्बंध में विस्तार से जानकारी भी नहीं है। देश का लगभग एक तिहाई हिस्सा ऐसा है कि जिस पर खेती की ही नहीं गई। जन शक्ति होते हुए भी इस बारे में कुछ नहीं किया गया। यदि ऐसा न किया गया होता तो हमारी खाद्य समस्या हल हो गयी होती। हमें अमरीका से खाद्यान्न लेने की आवश्यकता ही न रहती। तीसरी योजना के अन्तर्गत अर्थात १९६५-६६ के अन्त तक १००० लाख टन उत्पादन का लक्ष्य है। इसका कारण मौसम रहा हो अथवा नीति हमें इस बात का सन्देह है कि उपरोक्त लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मेरा विचार तो यह भी है कि शायद चौथी योजना के अन्त तक भी यह लक्ष्य पूरा न हो। क्योंकि उत्पादन बढ़ नहीं रहा। आबादी प्रतिवर्ष २·४ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है। गत छः वर्षों में हमारा अनाज आयात २६२·७ करोड़ रुपये का हो गया है।

सरकार ने ऐसे कौन से प्रोत्साहन किसानों को दिये हैं जिससे उत्साहित हो कर वे अधिक उत्पादन में जुट जायें। सरकार ने किसानों को उचित मूल्य देने की भी गारन्टी की थी, वह उसे भी पूरा करने में असमर्थ रही है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि किसानों को फसल के समय सस्ते दामों अनाज बेचना पड़ता है। लाभ न किसान को मिलता है और न ही उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। बीच के लोग ही लाभ उठा लेते हैं। तीसरी योजना के अन्तर्गत यह भी चर्चा थी कि खाद्यान्न का व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी। परन्तु इस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया है। इस मामले में भी सरकार असफल रही है। यह सब बातें अनाज जांच समिति के प्रतिवेदन में भी स्वीकार की गयीं।

डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं।

DR. SAROJINI MAHISHI *in the chair*

आज देश भर में अनाज के दाम ब त बढ़ गये हैं। मेरा निवेदन यह है कि देश की खाद्यान्न समस्या तो तब ही हल होगी जब कि सरकार भूमि सुधार के मामले को गम्भीरता से ले। यह भी व्यवस्था करे कि किसान को पर्याप्त ऋण भी प्राप्त हो और अनाज का व्यापार अपने हाथ में ल। इसी तरह से ही यह समस्या हल हो सकती है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Ram Sewak Yadav : I beg to move my Substitute Resolution.

श्री दे० शि० पाटिल : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : आज देश में कांग्रेस का राज है और कांग्रेस अपने कराची सत्र से भूमि सुधार करने के लिए वचनबद्ध है । योजना आयोग ने भी भूमि सुधारों की प्रगति के बारे में अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है । हम इस बात को देखने का प्रयत्न करेंगे कि गत १६ वर्षों में इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है । यह राज्य सरकारों का विषय है और इस बारे में उनकी बात केन्द्रीय सरकार को माननी ही पड़ती है । यह आलोचना भी काफी हद तक सही है कि किसान को भूमि का मालिक नहीं बनाया गया है । मेरा निवेदन है कि इस मामले की चर्चा केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से करनी चाहिए । इस तरह का कोई राह निकाला जाना चाहिए जिससे भूमि सुधार लागू हो सके । काफी भारी प्रयत्नों के बावजूद किसान ऋण ग्रस्तता कम नहीं हो पाई है । प्रत्युत वह कुछ बढ़ ही गयी है । सरकार काफी रुपया खर्च कर रही है परन्तु खेद की बात यह है कि वह रुपया किसानों तक नहीं पहुंच पाता । उनको जरूरत के समय कर्जा नहीं मिलता ।

इस सम्बंध में मेरा सुझाव यह है कि सरकार को यह कर्जा देने का केंद्र एक कर देना चाहिए । इसके बिना न किसान को कुछ लाभ होगा और न ही उत्पादन लक्ष्य ही बढ़ेगा । अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि कांग्रेस भूमि सुधार के लिए वचनबद्ध है । अतः इस दिशा की सभी कमियों और रुकावटों को दूर करके यथासंभव शीघ्र ही अपेक्षित कार्य को करना चाहिये ।

श्री रंगा (चित्तूर): पता नहीं मेरे माननीय मित्र इन भूमि सुधारों को क्या समझते हैं । जो कुछ देश के समक्ष रखा गया था उसका अर्थ यह था कि जो लोग भूमि पर सिंचाई करते हैं उनके हितों को सुरक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए । पट्टेवाली भूमि का किराया कम किया जाय । भूमि सुधारों का अर्थ यह कभी भी नहीं था कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं हैं उन्हें भूमि का बिल्कुल स्वामी बना दिया जाय और जो भूमि के स्वामी हैं उनसे भूमि छीन ली जाय । मेरे विचार में यह काम उस समय समाप्त हो जाता है जबकि हमने जमींदारी का उन्मूलन कर दिया और भूमि की उच्चत्तम सीमा निर्धारित कर दी गयी ।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि २०, ३० अथवा २, १ एकड़ भूमि के मालिकों को भूमिदार कहना गलत बात है । परन्तु साम्यवादी भाई प्रायः यह गलत बात करते हैं । यदि भूमि के स्वामियों से भूमि छीन ली गयी तो देश के लिये यह बात घातक सिद्ध होगी । इस बारे में हमें एक बात यह भी समझ लेनी चाहिये कि यदि उन मजदूरों को भी मजदूर ही माना गया है जिनकी आय ५०० रुपये प्रति मास है तो कोई कारण नहीं कि इतनी आय वाले किसान को भूस्वामी मान कर उनके विरुद्ध शोर मचाया जाय, और उन्हें उनकी भूमि से वंचित कर देने की बात कही जाय । वह सभी लोग जो स्वयं काश्त करते हैं उन लोगों को भूमि जोतने वाले ही समझना चाहिए । केवल कृषि श्रम को ही किसान है, यह विचार बहुत ही घातक है । परन्तु हमारे साम्यवादी मित्र इस गलत सिद्धांत को ही लिये जा रहे हैं ।

स्वयं खेती करने के बहाने से कई लोगों को भूमि से बेदखल किया जा रहा है, इस समस्या को मैं महसूस करता हूं । किसानों के पट्टे की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों में कानून बनाये जाने चाहियें । जो किसान स्वयं भूधारी हैं उन्हें भूमि राजस्व निर्धारण से मुक्त किया जाना चाहिये । उनसे केवल

नाम मात्र की कुछ फीस ही लेनी चाहिए । साम्यवादी मित्रों की यह बात बहुत ही घातक है कि भूमिहीन किसानों को सब भूमि दे दी जाय । संकल्प पारित नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री मुत्तु गौंडर (तिरूपत्तूर) : मैं श्री नम्बियार के संकल्प का समर्थन करता हूं । मैंने दोनों पक्ष सुने हैं । स्वतंत्र पार्टी का भी और साम्यवादी दल का भी । मेरे विचार में भूमि सुधार तो सभी दल चाहते हैं । परन्तु अब तो हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि उन सुधारों को कार्यान्वित कैसे किया जाय । देखने में आया है कि राज्यों में भूमि सुधारों सम्बंधी विधानों को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता । मेरा आग्रह है कि इस दिशा में तुरन्त समुचित सुधार की व्यवस्था की जानी चाहिए । द्रविड़ मुनेत्र कषगम दल सभी प्रकार के सुधारों का पक्षपाती है । परन्तु हमारा निवेदन यह है कि सभी प्रकार के सुधार लोकतन्त्रीय परम्परा के अनुसार लाये जाने चाहिएं ।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूमि सुधार की दिशा में होने वाली कार्यवाही इस ढंग से हो कि उसका खेती पर बुरा प्रभाव न पड़े । उनसे भूमि का विभाजन भी नहीं होना चाहिए । छोटे छोटे किसानों का ध्यान रखा जाना चाहिए । भूमि का विभाजन तो उससे भी अधिक खतरनाक है कि भूमि को कुछ ही जमींदारों के हाथों में रखा जाय । इससे हमें बचना चाहिए । इससे अर्थ व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

सहकारी कृषि के बारे में मेरा निवेदन है कि यह प्रणाली रूस में भी सफल नहीं हो पाई । इस देश में भी यह सफल नहीं हो सकती । हमें रूस के अनुभव से लाभ उठाना चाहिये । हमें तो वर्षों के अनुभव के बाद भी खाद्यान्नों का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है । यदि हम सहकारी कृषि पर जोर देते रहे तो सचमुच हालात ऐसे ही रहेंगे । साथ ही मेरा यह भी विचार है कि भूमि सुधारों और जमीनों की उच्चत्तम सीमा निर्धारित करने से कोई लाभ नहीं होगा । सरकार को चाहिए कि वह किसानों को प्रोत्साहन दे और उनकी ऋणग्रस्तता कम हो । उन्हें कीमतों में भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए । किसानों को ४½ प्रतिशत पर रुपया कर्ज दिया जाना चाहिए, जैसा कि बड़े उद्योगों को दिया जाता है । यदि इस तरह के पग न उठाये गये तो भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं होगा ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिंदे) : मैं इस संकल्प का विरोध करने के लिये उठा हूं । मेरा विचार यह है कि यह संकल्प इस रूप में पारित नहीं हो सकता । हमें यह समझना चाहिये कि हमारे संविधान के अन्तर्गत खेती सम्बन्धी मूल जिम्मेदारी राज्यों की है । इस संकल्प में जो भी मामले रखे गये हैं वे सभी राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं । साथ ही यह भी कि हम खेती के मामले में अधिकारों का केन्द्रीयकरण नहीं कर सकते । रूस में इसका प्रयोग किया गया था परन्तु वहां इसके परिणाम बहुत ही भंयकर रहे हैं । वैसे खेती के क्षेत्र में सरकार अपनी सम्भव शक्ति लगाने में विश्वास रखती है । इस दिशा में उसे यहां भी कोई दोष दिखाई दिया है उसे सरकार ने हमेशा दूर करने का प्रयत्न किया है ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): Mr. Chairman, I support the resolution presented by Shri Nambiar with the amendment that all holdings measuring 6½ acres and below should be exempted from land revenue and land above the specified ceiling should be distributed among landless tillers.

Land reforms in the prevelance of socialism imply that the tiller of the land should be made its owner. But the land reforms enacted by the Government are continuously being violated by the Ministers themselves and also the bureaucrates. To cite a case, one of the Union Ministers grouped some land

in Rajasthan. An I.A.S. officer of Rajasthan Government also did the same thing. You cannot effect land reforms if this sort of contradiction between professing and practising continues.

Shri Tyagi (Dehradun) : Has a Minister no right to acquire land and to carry on cultivation over it?

Shri Ram Sewak Yadav : No, Sir, if we profess that land should be owned by the tiller, it defeats the very spirit of the enactment. It is the basis of all land reforms that the land should be owned by the tiller alone.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Land reforms could not be effected in the true sense of the term until you prescribe a ceiling for the holdings and the land measuring above the ceiling is distributed among landless tillers. Government should give the figures as to how much land above the prescribed ceilings has been acquired and distributed so far in different States after the implementation of enactments in respect of ceiling. The enactments were in themselves defective. They provided too many loopholes and the landlords escaped by converting their land into orchards, dairy farms, etc. Even if the land comes under the ceiling enactment after so many loopholes, the Bharat Sewak Samaj, Bhudan or Cooperatives come forward to take their toll.

It is a hollow reasoning to argue that it is a state subject as prescribed in the Constitution. If agriculture is the responsibility of the state why it is that Planning Commission talks so much about land reforms ?

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस वाद-विवाद पर आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की ऐसी इच्छा है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । आधे घंटे का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : श्रीमान्, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । इस संकल्प में तीन बातें हैं : खेत जोतने वालों को भूमि का स्वामी बना दिया जाये, ग्रामीण जनता के ऋण का भार समाप्त किया जाये और कृषि उत्पादों के लिये विपणन की सुविधायें उपलब्ध कराई जायें । सरकार को इस संकल्प को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि सरकार ने भी जोतने वालों को भूमि का स्वामी बनाने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया है ।

यह कहना भी उचित नहीं है कि सरकार के समक्ष कानूनी अड़चनें हैं क्योंकि कृषि राज्य का विषय है । भारत रक्षा नियम लागू हैं । उनके अन्तर्गत सरकार राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है ।

कुछ राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कानून बनाये गये हैं । किन्तु जमींदारी आदि समाप्त होने के बाद भूमिधारियों का एक नया वर्ग सामने आ रहा है जिसके पास १०० एकड़ से भी

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

अधिक भूमि है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने भूमि की सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत एक भी एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों को नहीं दी ।

ऋण के सम्बन्ध में भी हम स्थिति में सुधार नहीं कर पाये हैं । सहकारी समितियां रिजर्व बैंक से २ प्रतिशत पर ऋण लेती हैं किन्तु वे किसानों से १० प्रतिशत तक ब्याज लेती हैं । किसानों को समय पर ऋण नहीं मिल पाता । उन्हें सिंचाई, उर्वरक आदि की सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं । इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाये ।

Shri Sheo Narain (Bansi): Mr. Deputy Speaker, Sir, in my opinion this resolution cannot be discussed in the House as agriculture is a state subject as prescribed in the Constitution.

We have our full sympathies with the farmers. U.P. Government by enacting legislations has abolished Zamindari. They have also implemented enactments in respect of consolidation of holdings, As far as Government are concerned their policy is correct and they are procceeding on this right path. The principles of the Government are not wrong. If the legislations enacted are not implemented properly the blame lies on the educated class and the administrative machinery which is not functioning properly and is indulging in all the corrupt practices. Government have committed a gross mistake by not amending the Government servants conduct rules after independence. To streamline the Government machinery is the pressing need of the day because we would not be able to give effect to our policies if administration does not work honestly and efficiently.

The farmer should be provided all the facilities which he requires so that production is increased. We cannot depend long on foreign countries for feeding our population.

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the points referred to in the resolution put forth by Shri Nambiar are of great importance. I do not want to go into the dispute that agriculture is a state subject. Central Government have already issued so many directions to the states about land reforms. However, it is regrettable to see that the states have not taken note of these directions and have not implemented various legislations enacted in respect of land reforms as would seem from the report in respect of mid-term appraisal of Third Plan. We are already serious about effecting land reforms. Shri Kamraj has also stressed the urgency of carrying out such reforms, in his speech at Bhubaneshwar.

I have moved an amendment to this resolution so as to include provision of adequate credit to the agriculturists. The present credit system does not enable the farmer to get adequate and easy credit. The credit is provided to the big farmers whereas farmers owning small holdings are being neglected. The credit policy should be reoriented so as to ensure adequate credit to the actual tiller. The credit worthiness should be determined with respect to capacity to produce and not on ownership of land. The credit system should be basically changed.

The rising prices would not be checked by importing food. Increased production is the only sure remedy in this respect and all the facilities should be made available to the farmer to help him boost the production.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मुझे हर्ष है कि यह संकल्प सभा के सम्मुख आया और माननीय सदस्यों ने भूमि सुधारों के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट किये । मैं चाहता हूं कि सभा उन उपायों का भी मूल्यांकन करे जो अभी तक किये गये हैं ।

श्री नम्बियार ने कहा कि स्वतंत्रता के १७ वर्ष बाद अब भी हमें अनाज का आयात करना पड़ता है । किन्तु यह कोई बड़ी बात नहीं है । चीन और रूस भी अनाज के सम्बन्ध में आयात का ही आश्रय लेते हैं ।

जहां तक भमि सुधारों का प्रश्न है १९३७ से ही कांग्रेस बिचौलियों को हटाने का प्रयत्न कर रही है । राजे, महाराजे आदि समाप्त हो गये हैं । विभिन्न राज्यों में लाखों एकड़ भूमि भमिहीन किसानों को दी गई है । श्री गौरी शंकर कक्कड़ ने आपत्ति उठाई थी कि उत्तर प्रदेश में भूमिहीन किसानों को एक एकड़ भूमि भी नहीं दी गई ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के अन्तर्गत जितनी भूमि ली गई है उसमें से एक एकड़ भूमि किसानों को नहीं दी गई ।

डा० राम सुभग सिंह : उत्तर प्रदेश में अब खेत जोतने वाले को कुआं खोदने और मकान बनाने का अधिकार है जो पहले नहीं था ।

श्री नम्बियार ने बंजर भूमि का भी उल्लेख किया । किन्तु सारी भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाना संभव नहीं ; क्योंकि खेती के हित के लिये यह भी आवश्यक है कि बंजर भूमि पड़ी रहे । बिना जंगलों के रहे खेती की उन्नति नहीं हो सकती । कृष्य बंजर भूमि पर खेती करने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है । तीसरी योजना के अन्तर्गत ५० लाख एकड़ बंजर भमि ७ लाख परिवारों में बांटी जायेगी । इस कार्यक्रम के लिये केन्द्र का ७ करोड़ रुपये का कार्यक्रम है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : भूमि सम्बन्धी नीति में अब भी सुधार किया जाना आवश्यक है ।

डा० राम सुभग सिंह : वनों के सम्बन्ध में नीति यह है कि कुल भूमि के एक तिहाई भाग में वन हों ।

ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने सर्वेक्षण किया है । दस वर्ष पहले ग्रामीण ऋण जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि ग्रामीण जनता को १२५० करोड प्रतिवर्ष के ऋण की आवश्यकता होगी । १९५०—५१ में केवल २३ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया । १९६२-६३ में यह राशि २५६ करोड़ रुपये थी और आशा है कि १९६३-६४ में ३०० करोड़ रुपये और अगले वर्ष ४०० करोड़ रुपये की होगी । यह राशि बहुत कम है किन्तु इस सम्बन्ध में प्रगति करने का प्रयास किया जायेगा । माननीय सदस्य भी सहकारी संस्थायें स्थापित कर के सहयोग दें ।

विपणन सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जूट के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम ने कार्य अपने हाथ में लिया है । शनैः शनैः अन्य वस्तुओं के विषय में भी ऐसा ही

[डा० राम सुभग सिंह]

किया जायेगा । कई कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में स्थैर्य मूल्य निर्धारित किये जा चुके हैं । हमारा यही प्रयास है कि किसान को उचित मूल्य मिले ।

देश में थोक की २५०० मंडियां हैं जिन में १०३५ नियमित हैं । उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है । किन्तु श्रेणीकरण के बिना नियमित मंडियों से अधिक सफलता की आशा नहीं है । लगभग ५३ यूनिटों में श्रेणीकरण कर दिया गया है ।

श्री राम सेवक यादव ने ६½ एकड़ तक की जोतों का उल्लेख किया । कई ओर से इस बात पर बल दिया जा रहा है । यदि उनका दल बना रहा तो उनकी बात पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री नम्बियार ने कहा कि अनाज के मूल्य काफी ऊंचे हो गये हैं । इस सम्बन्ध में सरकार ने कार्यवाही की है । देश भर में ५५,००० उचित मूल्य की दुकानें हैं ।

श्री नम्बियार ने यह भी उल्लेख किया कि यदि उन की बात नहीं सुनी गई तो सरकार का तख्ता पलट दिया जायेगा । मैं उन्हें बता दूं कि सरकार इतनी शक्तिहीन नहीं है ।

श्री नम्बियार : मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री ने यह समझा कि हम सरकार का तख्ता पलटने के लिए यहां पर हैं । हम तो इस काम में सरकार का सहयोग देने के लिये हैं कि लोगों को पेट भर खाना मिल जाये । अधिकतम उत्पादन हो और जोतने वाली भूमि का स्वामी बना दिया जाये ।

माननीय मंत्री ने कहा कि मैं बनों को बनाये रखने के विरुद्ध हूं । मेरा विचार ऐसा नहीं है । योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कृषि के विस्तार का संभवतः यही उपाय है कि पड़ती भूमि और पड़ती के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि पर खेती की जाये । ऐसी भूमि देश में ११.३० करोड़ एकड़ है ।

उन्होंने कहा कि रूस भी आज ४७ वर्षों के बाद भी अनाज के सम्बन्ध में आयात पर निर्भर है । यह तर्कसंगत नहीं । रूस की बात रूस ही जानता है । मेरा तो यह कहना है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक हम लगभग १५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के मूल्य के अनाज का आयात करते आये हैं । मैं यही जानना चाहता था कि यह स्थिति कब तक चलती रहेगी ।

सारे राज्यों में जोतने वालों से भूमि ले लेने के कई मामले हो रहे हैं । माननीय मंत्री को चाहिये कि इस ओर ध्यान दें ।

राजे-महाराजे, और ज़मींदार समाप्त हो गये हैं : किन्तु भूमि जोतने वालों को नहीं मिली है । भूमि धारियों का एक नया वर्ग सामने आ गया है ।

इन बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि मेरा यह संकल्प सब प्रकार से उचित है । यदि सभा की सहमति हो तो "सरकार" शब्द के स्थान पर "राज्य सरकारें" रखा जा सकता है । मेरी सभा से प्रार्थना है कि यह संकल्प स्वीकार कर लिया जाये ।

मैं स्थानापन्न संकल्प से भी सहमत हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव, संशोधन संख्या १, सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 1 was put and negatived.

श्री दे० शि० पाटिल : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि पूर्णतया भूमि-सुधार करने के लिये, जिन में जोतने वाले को भूमि का स्वामी बनाना, ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को समाप्त करना और मूल्यों को गिरने पर सहायता देने के साथ विक्रय की समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्मिलित है, विधान संबंधी तथा कार्यपालिका संबंधी उपायों द्वारा तत्काल कदम उठाये जायें ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

फिल्म उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : NATIONALISATION OF FILM INDUSTRY

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर–उत्तर) : मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"इस सभा की यह राय है कि सरकार को फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कदम उठाने चाहियें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : वे अगली बार इसे जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ९ मार्च, १९६४ / १९ फाल्गुन, १८८५ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clok on Monday, March 9, 1964 Phalguna 19, 1885 (Saka)